सत्यमेव जयते

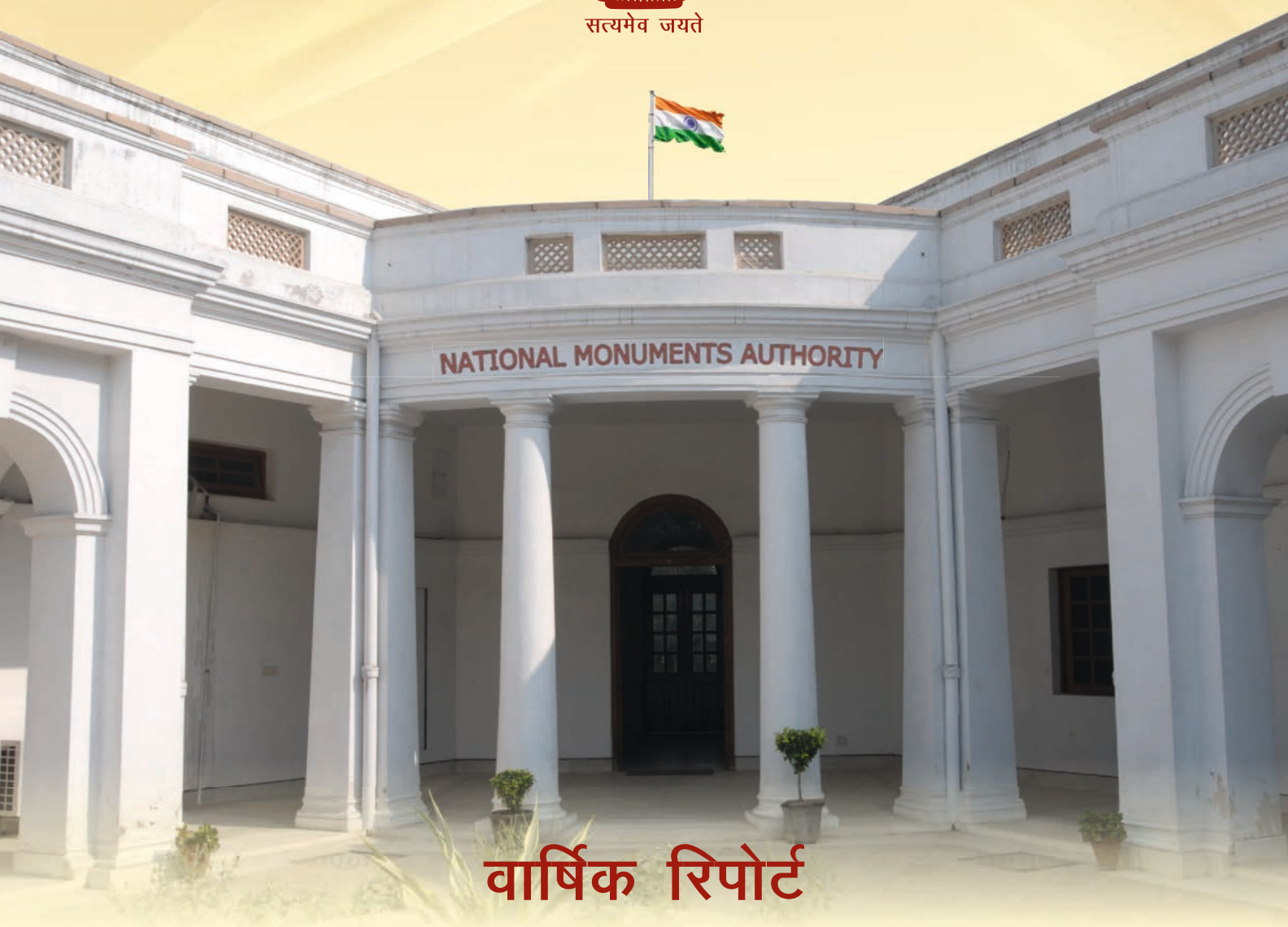

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2023-24

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार

NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY
MINISTRY OF CULTURE
GOVT. OF INDIA

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report
2023-24

विषय सूची

अध्याय संख्या	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय–I	परिचय	1–2
अध्याय–II	एनएमए के कार्य और शक्तियां	3–4
अध्याय–III	सक्षम प्राधिकारियों का सचिवालय	5
अध्याय–IV	प्रवर्गीकरण और वर्गीकरण	6
अध्याय–V	अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदनों पर कार्रवाई	7–9
अध्याय–VI	धरोहर उप–विधि	10–14
अध्याय–VII	वित्त एवं बजट	15–16
अध्याय–VIII	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	17
अध्याय–IX	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, लोक शिकायत, वीआईपी संदर्भ और विधिक मामले	18–19
	अनुलग्नक	39–60

Contents

Chapter Number	Particulars	Page No.
Chapter - I	Introduction	21-22
Chapter - II	Functions & Powers of NMA	23
Chapter - III	Secretariat of Competent Authorities	24
Chapter - IV	Categorization and Classification	25
Chapter - V	Processing of Applications for Grant of Permission	26-28
Chapter - VI	Heritage Bye-laws	29-33
Chapter - VII	Finance and Budget	34-35
Chapter - VIII	Implementation of Official Language Policy	36
Chapter - IX	Right to Information Act, 2005, Public Grievances, VIP References and Legal Matters	37-38
	Annexures	39-60

अध्यायः I

परिचय

1.1 राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) का गठन प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के अधिनियमन द्वारा मूल अधिनियम, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत किया गया था। इस आशय की राजपत्र अधिसूचना 29 मार्च, 2010 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात 30 मार्च, 2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई थी ।

1.2 तदनुसार, संस्कृति मंत्रालय (MoC) ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 33–71/2009–एम (खंड II) दिनांक 06 सितंबर, 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) और 24 सक्षम प्राधिकारियों (सीए) की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दी जिनमें से प्रत्येक का अधिकार क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक परिमंडल के साथ सह–सीमांत होगा, ताकि एनएमए को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता मिल सके। उक्त कार्यालय ज्ञापन में एनएमए में 12 पदों के सृजन के लिए भी मंजूरी दी गई थी, जिसका ब्यौरा *अनुलग्नक–I* में दिया गया है।

1.3 प्राधिकरण ने 23 नवंबर, 2011 को एनओसी [(जिसे अब अनुमति प्रदान करने के लिए सिफारिश (आरजीपी) कहा जाता है)] की पहली बैठक के आयोजन के साथ अपना कार्य आरंभ किया। इस बैठक की अध्यक्षता एनएमए के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तत्कालीन पूर्णकालिक सदस्य, सुश्री मीरा ईश्वर दास ने की, जहां एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत पांच मामलों पर विचार किया गया।

एनएमए की उत्पत्ति

1.4 राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित सभी प्राचीन संस्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के साथ–साथ उनके आसपास के क्षेत्रों के व्यवस्थित परिरक्षण, संरक्षण, सुरक्षा और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए, शहरीकरण और विकास को समायोजित करते हुए, केंद्र सरकार ने प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए राज्य स्तर पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण(एनएमए) और सक्षम प्राधिकारियों का गठन किया।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) की संरचना

1.5 एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) की धारा 20च के अनुसार, प्राधिकरण में पूर्णकालिक आधार पर एक अध्यक्ष, अधिकतम 05 पूर्णकालिक सदस्य और 05 अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य के रूप में महानिदेशक, एएसआई और एक सदस्य–सचिव, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के नही होंगे, शामिल होंगे।

1.6 राष्ट्रपति द्वारा पुरातत्व, शहर और नगर नियोजन, वास्तुकला, धरोहर, संरक्षण–वास्तुविद या विधि के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। प्रोफेसर किशोर के. बासा, एनएमए के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 23 नवंबर, 2022 को पदभार ग्रहण किया था।

1.7 केंद्र सरकार द्वारा पुरातत्व, शहर और नगर नियोजन, वास्तुकला, धरोहर, संरक्षण–वास्तुविद या विधि के क्षेत्र में सिद्ध अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों को चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें मंत्रिमंडल सचिव – (अध्यक्ष, पदेन); सचिव, संस्कृति मंत्रालय– (सदस्य, पदेन); सचिव, शहरी विकास मंत्रालय– (सदस्य; पदेन); और तीन विशेषज्ञ, जिनके पास पुरातत्व, वास्तुकला, धरोहर या संरक्षण–वास्तुविद के क्षेत्र में सिद्ध अनुभव और विशेषज्ञता है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा धारा 20–छ के संदर्भ में नामित किया जाएगा। वर्तमान में, केवल एक पूर्णकालिक सदस्य नामतः श्री टी॰एन॰ तिवारी हैं जिन्होंने 25 मई, 2023 को कार्यभार ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त दो अंशकालिक सदस्य नामतः श्री हेमराज रमणीकलाल कामदार और प्रो. एम. कैलाश राव भी है जिन्होंने क्रमशः 24 फरवरी, 2022 और 29 मार्च, 2022 को कार्यभार ग्रहण किया है ।

1.8 प्राधिकरण के पूर्णकालिक अध्यक्ष या प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य और प्रत्येक अंशकालिक सदस्य का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष का होगा और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।

1.9 पूर्व अध्यक्षों, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों की सूची *अनुलग्नक–II* में दी गई है ।

अध्यायः II

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के कार्य और शक्तियां

2.1 एनएमए का प्राथमिक कार्य राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन संस्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों (जिन्हें संरक्षित संस्मारक और स्थल या केंद्रीय संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है) के सांविधिक प्रावधानों को लागू करना है, जिसका उद्देश्य इमारतों, सरंचनाओं, सार्वजनिक परियोजनाओं या जनता के लिए आवश्यक परियोजनाओं का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण करना है। इसके अलावा, एनएमए को केंद्रीय संरक्षित संस्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास निर्माण संबंधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए संस्मारक विशिष्ट धरोहर उप–विधियों (एचबीएल) को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। इन धरोहर उप–विधियों (एचबीएल) में अन्य बातों के साथ–साथ ऊंचाई, अग्रभाग, जलनिकासी प्रणाली, सड़क और सेवा बुनियादी ढांचे जैसे धरोहर नियंत्रण से संबंधित मामले शामिल होंगे। इन धरोहर उप–विधियों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। एनएमए को ऐतिहासिक, पुरातत्वीय, वास्तुशिल्पीय और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एएसआई के परामर्श से राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन संस्मारकों या पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के प्रवर्गीकरण और वर्गीकरण का उत्तरदायित्व भी दिया गया है। अपने अधिदेशित कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से, एनएमए क्षेत्र स्तर पर सक्षम प्राधिकारियों (सीए) के कामकाज की देखरेख करता है। इसके अलावा, एनएमए को एएमएएसआर अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने का भी अधिदेश दिया गया है।

2.2 अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए, एनएमए को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित रना, सुनिश्चित करना, शपथ के तहत उनकी जांच करना, दस्तावेजों का पता लगाना और उन्हे प्रस्तुत करने की अपेक्षा रखना, और किसी भी अन्य निर्धारित मामलों का निपटान करना शामिल है।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) सचिवालय

2.3 केन्द्रीय सरकार द्वारा ए.एम.ए.एस.आर. अधिनियम, 1958 की धारा 20च की उपधारा (5) के अंतर्गत प्राधिकरण के समुचित और कुशल संचालन के लिए उन्हे आवश्यक संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराना अपेक्षित है, ताकि प्राधिकरण अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके।

2.4 व्यय विभाग (डीओई) ने अपने आईडी संख्या 8777849/ईसीआई (2)/2010 दिनांक 18 जनवरी, 2011 के द्वारा एनएमए में 12 पदों (सदस्य–सचिव के पद को छोड़कर) को मंजूरी दी। उक्त स्वीकृत पदों को बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की कमी के कारण एनएमए द्वारा उनकी मंजूरी के 05 वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर तुरंत भरा/संचालित नहीं किया जा सका और इस प्रकार वे समाप्त हो गए। हालांकि, लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के वित्त विभाग ने अपने आईडी नोट संख्या 12(14)/संस्कृति/ई/समन्वय. I/2020 दिनांक 07 मार्च, 2022 के द्वारा एनएमए में 05 पदों को बहाल किया। इसके बाद, व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय ने अपने आईडी संख्या 12(14)/संस्कृति/ई/समन्वय I/2020 दिनांक 08 मई, 2023 के द्वारा

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (NMA) में शेष 07 पदों को बहाल कर दिया । इन 12 बहाल पदों का विवरण *अनुलग्नक–III* में दिया गया है।

2.5 चूंकि ये बहाल पद कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की संदर्भित धारा के तहत पदों के सृजन का प्रस्ताव, *अनुलग्नक–IV* के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा रहा है। तथापि, नियमित कर्मचारी न होने के कारण युवा पेशेवरों और सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है, इसके अलावा सहायक कर्मचारियों की सेवाएं बाहरी स्त्रोतों से ली गई है, ताकि प्राधिकरण अपने कार्यों का निर्वाह कर सके।

अध्यायः III

सक्षम प्राधिकारियों का सचिवालय

3.1 केन्द्र सरकार से अपेक्षित है कि वह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (धरोहर उप–विधियों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के खंड 3 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक कार्यालय के समुचित और कुशल संचालन के लिए सहायक, तकनीकी स्टाफ और प्रशासनिक स्टाफ उपलब्ध कराए, ताकि वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें।

3.2 संस्कृति मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 33–71/2009–एम (खंड II) दिनांक 6 सितम्बर, 2010 के द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर वाले 'सक्षम प्राधिकारी' के 24 पदों के सृजन के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्रदान की।

3.3 प्रारंभ में, एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में, 24 राज्यों में निदेशक स्तर के अधिकारियों को कर्मचारियों की तदर्थ व्यवस्था के साथ सक्षम प्राधिकारी (सीए) के रूप में पदनामित किया गया था। इसके अलावा, एएसआई के 05 क्षेत्रीय निदेशकों (आरडी) को सक्षम प्राधिकारी (सीए) के रूप में घोषित किया गया था। ये आरडी कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और भोपाल से सक्षम प्राधिकारी (सीए) के रूप में कार्य कर रहे हैं। सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक कार्यालय में प्रारंभ से ही, राज्यों में नामित सक्षम प्राधिकारी (सीए) द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवाएं लेने के अलावा, आउटसोर्स के आधार पर स्टाफ उपलब्ध कराने की तदर्थ व्यवस्था की गई है। वर्तमान में, प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) की धारा 2 के खंड (घख) के अंतर्गत अधिसूचित 05 सक्षम प्राधिकारी सहित कुल 34 नामित सक्षम प्राधिकारी हैं।

3.4 व्यय विभाग (डीओई) ने 07 जनवरी, 2022 के अपने आईडी नोट के द्वारा, संयुक्त सचिव स्तर के पद वाले सक्षम प्राधिकारी (सीए) के इन 24 पदों को बहाल करने पर सहमति न देते हुए, इन पदों को लेवल–12 (उप–सचिव स्तर) पर डाउनग्रेड करके सक्षम प्राधिकारी और निदेशक के पदों के सृजन के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने की सलाह दी। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी (सीए) के कार्यालयों के लिए इन पदों के सृजन का प्रस्ताव, जैसा कि *अनुलग्नक–V* में विवरण दिया गया है, संस्कृति मंत्रालय को भेजा गया है ताकि इसे व्यय विभाग को उनके विचारार्थ और अनुमोदन के लिए आगे भेजा जा सके।

सक्षम प्राधिकारियों के कार्य

3.5 सक्षम प्राधिकारियों के कार्यालय के कर्तव्य और जिम्मेदारियां एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) की धारा 20घ और एएमएएसआर (धरोहर उप–विधियों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 4 में निर्धारित हैं, जो 24 अगस्त, 2011 को लागू हुए। सक्षम प्राधिकारी (सीए) संरक्षित संस्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के विनियमित और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत, जीर्णोद्धार, निर्माण और पुनः निर्माण के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने और उन्हे आगे अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को भेजे जाने के लिए उत्तरदायी हैं। वे प्रमुख परियोजनाओं, जन–साधारण के लिए आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए पुरातत्वीय मूल्यांकन रिपोर्ट और सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने, कार्यस्थल योजनाओं और धरोहर उप–विधियों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम विकसित करने और संरक्षित संस्मारकों को वर्गीकृत करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त, वे प्रासंगिक जानकारी के साथ एक वेबसाइट बनाने और उसका प्रबंधन करने तथा आवेदनों, दी गई अनुमतियों, अस्वीकृत अनुमतियों, स्थल योजनाओं और धरोहर उप–विधियों के व्यापक अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी हैं।

अध्यायः IV

प्रवर्गीकरण और वर्गीकरण

4.1 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) की धारा 4क के अनुसार, प्राधिकरण धारा 3 और 4 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन संस्मारकों या पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के संबंध में प्रवर्गीकरण के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा और ऐसा प्रवर्गीकरण निर्धारित करते समय वह ऐतिहासिक, पुरातत्वीय और स्थापत्य मूल्य और ऐसे अन्य कारक को ध्यान में रखेगा जो ऐसे प्रवर्गीकरण के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

4.2 केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सिफारिश पर, निर्धारित प्रवर्गीकरण के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के घोषित सभी प्राचीन संस्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों को वर्गीकृत करेगी और उसके बाद उन्हें जनता के लिए उपलब्ध कराएगी तथा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी तथा अन्य तरीके से भी कार्रवाई करेंगे, जैसा वह उचित समझे।

4.3 राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें तथा कार्य संचालन) नियम, 2011 के नियम 6 की अनुसूची II के अनुसार, ऐतिहासिक, पुरातत्वीय, कलात्मक और स्थापत्य मूल्य तथा ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन संस्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों का व्यापक प्रवर्गीकरण निम्नानुसार हैं:

प्रवर्ग I	यूनेस्को की विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की सूची में अंकित संरक्षित संस्मारक/पुरातत्वीय स्थल।
प्रवर्ग II	विश्व धरोहर समिति द्वारा अनंतिम सूची में शामिल संरक्षित संस्मारक और पुरातत्व स्थल।
प्रवर्ग III	यूनेस्को की विश्व धरोहर अनंतिम सूची में शामिल करने के लिए पहचान किये गये संरक्षित संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल ।
प्रवर्ग IV	टिकट वाले संरक्षित संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल (विश्व धरोहर स्थलों और अनंतिम सूची में शामिल स्थलों को छोड़कर)।
प्रवर्ग V	प्रवेश शुल्क लेने के लिये पहचान किए गए वे संस्मारक और स्थल जहां आगंतुकों की पर्याप्त संख्या का आवागमन है
प्रवर्ग VI	जीवित संस्मारक जहां बड़ी संख्या में आगंतुक/तीर्थयात्री आते हैं।
प्रवर्ग VII	शहरी/अर्धशहरी सीमाओं और दूरदराज के गांवों में स्थित अन्य संस्मारक।
प्रवर्ग VIII	या अन्य ऐसे प्रवर्ग जिसे प्राधिकरण उचित समझे।

4.4 छह एएसआई परिमंडलों नामतः दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, कोलकाता, वडोदरा और जबलपुर के 918 संरक्षित संस्मारकों और स्थलों का प्रवर्गीकरण पूरा हो चुका है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके अलावा, दस एएसआई परिमडंलों नामतः जयपुर, नागपुर लखनऊ, मुंबई, पटना, शिमला, सारनाथ, त्रिशूर, श्रीनगर और रायपुर में 870 अतिरिक्त संरक्षित संस्मारकों और स्थलों को भी प्रवर्गीकृत किया गया है। एनएमए द्वारा प्रवर्गीकृत संरक्षित संस्मारकों और स्थलों की संख्या 1788 है, जो देश में संरक्षित संस्मारकों और स्थलों की कुल संख्या का लगभग 50 प्रतिशत है।

अध्यायः V

अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदनों पर कार्रवाई

5.1 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) की धारा 20घ के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी (सीए) अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय संरक्षित संस्मारकों के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत या नवीनीकरण या विनियमित क्षेत्र में निर्माण या पुनर्निर्माण या मरम्मत या नवीनीकरण की अनुमति देने के लिए धारा 20ग के प्रावधानों के तहत आवेदन प्राप्त करते हैं। आवेदकों को एएमएएसआर (धरोहर उप–विधि का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 में उपलब्ध निर्धारित फॉर्म–I में अपने आवेदन जमा करने होते है। निर्माण के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने के बाद सक्षम प्राधिकारी (सीए) को एएमएएसआर (धरोहर उप–विधि का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 में उपलब्ध निर्धारित फॉर्म–II के अनुसार अपनी सिफारिशें एनएमए को अग्रेषित करनी होती है।

5.2 केंद्रीय संरक्षित संस्मारकों (सीपीएम) के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत या नवीनीकरण या विनियमित क्षेत्र में निर्माण या पुनः निर्माण या मरम्मत या नवीनीकरण के लिए अनुमति देने हेतु आवेदन पर कार्रवाई में प्रस्तावित कार्य पर अपनी रिपोर्ट के साथ आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण को आवेदन अग्रेषित करना शामिल है। सक्षम प्राधिकारी (सीए) की रिपोर्ट के आधार पर, प्राधिकरण अपनी सिफारिशें देते समय सक्षम प्राधिकारी (सीए) को ऐसे निर्माण के प्रभाव की जानकारी देता है और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी (सीए) प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अनुमति देता है या तदनुसार निर्माण के लिये मना कर देता है। प्राधिकरण की सिफारिश को अंतिम माना जाता है। एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र [(जिसे अब अनुमति देने की सिफारिश (आरजीपी) कहा जाता है] के लिए आवेदन करने के नियम *अनुलग्नक–VI* पर हैं ।

5.3 यदि प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी (सीए) अनुमति देने से इंकार करने का निर्णय लेता है, तो उसे लिखित आदेश द्वारा, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर आवेदक को अस्वीकृति की सूचना देनी होगी, साथ ही आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद प्राधिकरण को भी सूचित करना होगा। एन.एम.ए. अपनी वेबसाइट पर आर.जी.पी./एन.ओ.सी. बैठकों के अनुमोदित कार्यवृत्त अपलोड करता है, जिसमें दी गई या अस्वीकृत सभी अनुमतियों को सूचीबद्ध किया जाता है।

5.4 यदि अनुमति दे दी गई है, लेकिन बाद में निर्माण से संस्मारक के संरक्षण को खतरा होता है, तो सक्षम प्राधिकारी (सीए) प्राधिकरण से आगे की सिफारिशें मांग सकता है और संभवतः अनुमति वापस ले सकता है ।

5.5 एनएमए ने केंद्र सरकार की "कारोबार में सुगमता" पहल के तहत 28 अप्रैल, 2016 में प्रारंभ किए गए एनओएपीएस (एनएमए ऑनलाइन आवेदन और प्रसंस्करण प्रणाली) पोर्टल के माध्यम से एनओसी/आरजीपी जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। यह प्रणाली उपग्रह आधारित रंग–कोडित क्षेत्रीय मानचित्रों के लिए BHUWAN पोर्टल और निर्माण स्थल निर्देशांक के लिए SMARAC मोबाइल ऐप सहित उन्नत ISRO तकनीक का उपयोग करती है, जिससे मंजूरी का समय 3½ महीने से घटकर सिर्फ़ 15 दिन रह जाता है। इसके अतिरिक्त, एनओएपीएस (एनएमए ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम) को अक्टूबर 2022 में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है और अब यह 14 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात् दिल्ली और उसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी काम कर रही है।

27 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 454 वीं आरजीपी बैठक

5.6 30 सितंबर, 2024 तक एनएमए ने एनओसी/आरजीपी आवेदनों पर विचार करने के लिए 454 बैठकें कीं। प्राधिकरण ने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 04 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और नॉन सिंगल विंडो के तहत 1,416 यूएलबी के आवेदनों पर कार्रवाई की है। वर्तमान में, 3,065 सीपीएम के लिए सीसीजेडएम उपलब्ध हैं, जबकि 630 सीपीएम के लिए आंकड़े एएसआई से आने वाला है। 23 नवंबर, 2011 से 30 सितंबर, 2024 की अवधि के दौरान एनएमए में ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या और उनकी स्थिति निम्नानुसार है:

प्राप्त आवेदन और उसका निपटान
(23.11.2011 – 30.09.2024)

	ऑफलाइन	ऑनलाइन	कुल
प्राप्त आवेदन	15,980	3,704	19,515
एनओसी/आरजीपी की सिफारिश की गई	11,800	2,863	14,663

5.7 ऑनलाइन आवेदन और प्रसंस्करण प्रणाली–एनओएपीएस की शुरूआत से पिछले तीन वर्षों में ऑनलाइन आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2023–24 में, ऑनलाइन जमा किए गए आवेदनों का प्रतिशत बढ़कर 81 प्रतिशत हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 में केवल 46 प्रतिशत की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह आवेदन प्रसंस्करण के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर बढ़ती निर्भरता को उजागर करता है, जो आवेदनों के प्रसंस्करण में अभिगम्यता और दक्षता बढ़ाने में एनओएपीएस की प्रभावशीलता को दर्शाता है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:

प्राप्त आवेदन और उनका निपटान (01.04.2021–31.03.2024)						
अवधि	ऑनलाइन प्राप्त आवेदन	ऑफ़लाइन प्राप्त आवेदन	कुल प्राप्त आवेदन (2+3)	अनुमति के लिए अनुशंसित मामले	अनुपालन हेतु वापस भेजे गये मामले	अस्वीकार कर दिये गये मामले
1	2	3	4	5	6	7
2021–22	431	682	1,113	920	132	61
2022–23	641	694	1,335	910	304	121
2023–24	989	860	1,849	1223	518	108
कुल	2,061	2,236	4,297	3,053	954	290

5.8 उपरोक्त तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार 71 प्रतिशत आवेदनों को अनुमति प्रदान करने के लिए अनुशंसित किया गया था, जबकि 22 प्रतिशत आवेदनों को आवेदकों/सक्षम प्राधिकारी (सीए) से अनुपालन की आवश्यकता वाली टिप्पणियों के साथ वापस भेज दिया गया था और 07 प्रतिशत आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया था। यह आवेदन प्रक्रिया की समग्र प्रभावशीलता को उजागर करता है, जिसके अतंर्गत अधिकतर मामलों को मंजूरी प्रदान की गई है और आवश्यक होने पर अनुपालन और निगरानी भी की जाती है।

अध्यायः VI

धरोहर उप–विधि

6.1 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (2010 में यथा–संशोधित) की धारा 20ड़ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप–विधियों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 22 में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित संरक्षित संस्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के लिए धरोहर उप–विधि (एचबीएल) तैयार करने को निर्दिष्ट किया गया है। एचबीएल तैयार करने के लिए नियमों में मापदंडों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा एचबीएल के अनुमोदन और उनके संसद में रखे जाने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया गया है।

6.2 एचबीएल का उद्देश्य संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के भीतर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करना है। तीन सौ मीटर के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, जो संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला हुआ क्षेत्र है और (ii) विनियमित क्षेत्र, जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला हुआ क्षेत्र है। एचबीएल में धरोहर नियंत्रण से संबंधित मामले जैसे कि ऊंचाई, अग्रभाग, जल निकासी प्रणाली, सड़कें और सेवा अवसंरचना विकास आदि शामिल होंगे।

6.3 एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में यथा–संशोधित) की धारा 20ड़ (1) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के तहत एक पंजीकृत न्यास भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य धरोहर विशेषज्ञ निकायों के परामर्श से संरक्षित संस्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में एचबीएल तैयार करेगा। संस्मारक विशिष्ट एचबीएल तैयार करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए देश के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ धरोहर निकायों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने अपेक्षित अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले ऐसे पर्याप्त संख्या में निकायों को अधिसूचित करने की पहल की है।

अधिसूचित धरोहर निकाय

6.4 भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर न्यास (इंटैक), भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत एक न्यास है, जिसे शुरू में एएमएएसआर अधिनियम, 1958 (2010 में यथा–संशोधित) की धारा 20ड़ के तहत एक विशेषज्ञ धरोहर निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2022 तक एचबीएल के धरोहर परामर्श के उद्देश्य से 47 धरोहर निकायों (इंटैक को छोड़कर) को अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2023–24 के दौरान 24 अन्य संस्थानों/निकायों को अधिसूचित किया गया है। कुल मिलाकर इंटैक सहित 72 धरोहर निकाय हैं और इनकी राजपत्र अधिसूचनाएँ *अनुलग्नक–VII* में हैं ।

संसद में रखे गए धरोहर उप–विधि (एचबीएल)

6.5 वर्ष 2022 तक 33 संरक्षित संस्मारकों को कवर करने वाली 7 एचबीएल संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई थी। वर्ष 2023–24 के दौरान 11 संरक्षित संस्मारकों को कवर करने वाली 11 और एचबीएल संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गईं, जिससे 44 संरक्षित संस्मारकों को कवर करने वाली अधिसूचित एचबीएल की कुल संख्या 18 हो गई, जैसा कि *अनुलग्नक–VIII* में विवरण दिया गया है।

6.6 वर्ष 2024 में 54 संरक्षित संस्मारकों को शामिल करते हुए 37 एचबीएल को राज्य सभा में रखा गया, लेकिन इन्हें लोक सभा में नहीं रखा जा सका। इसके बाद 57 संरक्षित संस्मारकों को शामिल करते हुए 53 एचबीएल को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिन्हें यथा समय संसद के समक्ष रखा जाएगा।

धरोहर उप–विधि (एचबीएल) तैयार करने में तेजी

6.7 संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर द्वि–आयामी दृष्टिकोण अपनाकर एचबीएल तैयार करने में तेजी लाने की प्रक्रिया अगस्त, 2022 में शुरू की गई थी। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारियों (क्षेत्रीय निदेशक, एएसआई) द्वारा तैयार किए गए 115 मसौदा एचबीएल को सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा तय की गई न्यूनतम दर के अनुमोदन के बाद धरोहर परामर्श के लिए 19 अधिसूचित धरोहर निकायों को सौंपा गया था। 150 संरक्षित संस्मारकों को कवर करने वाले सभी 115 मसौदा एचबीएल की धरोहर परामर्श रिपोर्ट वर्ष 2023–24 में प्राप्त हुई थी।

6.8 इसके अतिरिक्त अधिसूचित विशेषज्ञ धरोहर निकायों द्वारा एचबीएल के प्रारंभिक मसौदे तैयार करने और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी के रूप में एएसआई के संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा जांच करने के दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में "अनुरोध प्रस्ताव" (आरएफपी) रूट के माध्यम से 153 संरक्षित संस्मारकों को कवर करने वाले अन्य 114 एचबीएल तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: –

क्षेत्रवार धरोहर उप–विधि तैयार करने संबंधी प्रगति

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	एचबीएल की संख्या	कवर संस्मारक
1.	केन्द्रीय क्षेत्र	22	29
2.	उत्तरी क्षेत्र	26	28
3.	दक्षिणी क्षेत्र	30	46
4.	पूर्वी क्षेत्र	23	29
5.	पश्चिमी क्षेत्र	13	21
कुल		**114**	**153**

संरक्षित संस्मारकों की स्थल योजनाओं की उपलब्धता

6.9 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप–विधियां तैयार करना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 21 के उप–नियम (1) के अनुसार महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की सहायता से विस्तृत स्थल योजना तैयार करने के उद्देश्य से 10 वर्ष की अवधि (जी.एस.आर. 3(ई), दिनांक 27 दिसंबर, 2018 द्वारा समर्थित) के भीतर प्रत्येक संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के सभी प्रतिषिद्ध क्षेत्रों, विनियमित क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण कराना अपेक्षित था। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप–विधि का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 21 की पहली अनुसूची में निर्धारित मापदंडों के अनुसार इन संस्मारक विशिष्ट स्थल योजनाओं की उपलब्धता, संस्मारक विशिष्ट धरोहर उप–विधि तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु है। एएसआई और एनएमए के बीच सक्रिय दृष्टिकोण से एचबीएल तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

6.10 प्रथम कदम के रूप में एनएमए ने निर्धारित मापदंडों के अनुसार संस्मारकों की स्थल विशिष्ट योजना तैयार करने में आने वाली बाधाओं की पहचान करने के लिए एएसआई सर्किलों से सीधे संपर्क करने के लिए एक सक्रिय

दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया। तदनुसार एएसआई के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके एनएमए के संरक्षण वास्तुविदों द्वारा स्थल योजनाओं का स्वयं सत्यापन किया गया। ये दौरे स्थल योजनाओं से संबंधित विशिष्ट महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे मानक प्रतीकों, रंग कोड का उपयोग न करना, स्थल योजनाओं में संरक्षित संस्मारकों के नामों में संबंधित राजपत्र अधिसूचनाओं के नामों से संबंधित विसंगतियां, संरक्षित क्षेत्र, प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र की सीमाओं के चित्रण में स्पष्टता की कमी, स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन में विसंगति तथा संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में सभी संरचनाओं एवं विशेषताओं का मानचित्रण न करना, की पहचान करने में बेहद फायदेमंद साबित हुए।

क्षमता निर्माण कार्यशालाएं

6.11 तदनुसार 01 नवंबर, 2023 को महानिदेशक, एएसआई के कार्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रवार क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ, जिनमें सटीक स्थल योजनाएँ तैयार करने की अनिवार्यताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तथा इनमें पुरातत्वविदों (एसए) और एएसआई सर्किलों के सर्वेक्षकों को शामिल किया जाएगा। एनएमए विशेषज्ञों की एक टीम सुलभ स्थानों पर ऑन–साइट प्रशिक्षण आयोजित करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रतिभागियों को व्यावहारिक शिक्षा और विशेषज्ञ मार्गदर्शन से लाभ मिल सके। इस पहल का उद्देश्य सटीक स्थल योजना तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल को बढ़ाना था, जो अंततः सुव्यवस्थित एचबीएल तैयार करने में सहायता करता है।

6.12 निर्णय के अनुरूप एनएमए और एएसआई द्वारा संयुक्त रूप से एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविदों और उनके सर्वेक्षकों/संबंधित कर्मचारियों के लिए "धरोहर उप–विधियों के लिए स्थल योजनाओं की तैयारी" पर चार क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान भी दिए गए, जिन्होंने स्थल योजनाओं को तैयार करने की नवीनतम तकनीकों पर चर्चा की।

6.13 पहली क्षमता निर्माण कार्यशाला 16 नवंबर, 2023 को एएसआई ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता एनएमए के अध्यक्ष ने की। एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक (संरक्षण) और संयुक्त महानिदेशक (संस्मारक) के साथ–साथ एएसआई के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर) भी इसमें शामिल हुए। आगरा, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, श्रीनगर और मेरठ सर्किलों के अधीक्षण पुरातत्वविदों (एसए) के साथ–साथ दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और लेह मिनी सर्किलों के सर्वेक्षकों ने भी कार्यशाला में भाग लिया।

16 नवम्बर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला

6.14 दूसरी कार्यशाला 23 नवंबर, 2023 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान (आईएनजीएएफ), कोलकाता में आयोजित की गई। इसमें क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व) और उनके कर्मचारियों के साथ–साथ पटना, रायगंज, रांची और आइजोल सर्किलों के अधीक्षण पुरातत्वविदों (एसए) के साथ–साथ भुवनेश्वर, पुरी, गुवाहाटी और कोलकाता सर्किलों के सर्वेक्षकों ने भाग लिया।

23 नवंबर, 2023 को कोलकाता में आयोजित कार्यशाला

6.15 तीसरी कार्यशाला 06 फरवरी, 2024 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, आईएनजीएएफ, चेन्नई में आयोजित की गई जिसका उद्घाटन अध्यक्ष, एनएमए ने किया। इसमें चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोलकाता, त्रिची, बैंगलोर, अमरावती, गोवा, धारवाड़ और हैदराबाद सर्किलों के अधीक्षण पुरातत्वविदों (एसए) ने भाग लिया।

06 फरवरी, 2024 को चेन्नई में आयोजित कार्यशाला

6.16 चौथी कार्यशाला 08 फरवरी, 2024 को मुंबई में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, आईएनजीएएफ में शेष अधीक्षण पुरातत्वविदों (एसए) और सर्वेक्षकों के लिए आयोजित की गई। इसमें एएसआई के संयुक्त महानिदेशक (संस्मारक), एएसआई के क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम), एएसआई के क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण) और एएसआई के जोधपुर, लखनऊ, भोपाल, गुवाहाटी, नागपुर, जबलपुर और जयपुर सर्किलों के अधीक्षण पुरातत्वविदों के साथ–साथ झांसी, वडोदरा, राजकोट, मुंबई, औरंगाबाद, आगरा, रायपुर, सारनाथ और जोधपुर सर्किलों के सर्वेक्षकों ने भाग लिया।

08 फरवरी, 2024 को मुंबई में आयोजित कार्यशाला

6.17 ये कार्यशालाएँ अत्यंत लाभकारी रहीं तथा प्रतिभागियों ने उच्च स्तर की संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कार्यशालाओं ने कई चल रही अनिश्चितताओं का समाधान किया, मौजूदा मुद्दों को सुलझाया और प्राप्त ज्ञान से सशक्त होकर आत्मविश्वास की नई भावना पैदा की। इन कार्यशालाओं का सकारात्मक प्रभाव अगले महीनों में स्पष्ट हो गया, क्योंकि निर्धारित मापदंडों के अनुसार सटीक स्थल योजनाएं प्रस्तुत करने में अच्छी वृद्धि हुई। गुणवत्ता में इस वृद्धि ने न केवल एचबीएल तैयार करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया, बल्कि अधिक प्रभावी संरक्षण प्रयासों में भी योगदान दिया।

अध्यायः VII

वित्त एवं बजट

7.1 एनएमए, वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), संस्कृति मंत्रालय के भुगतान नियंत्रण के अंतर्गत एक गैर–चेक डीडीओ (एनसीडीडीओ) के रूप में कार्य कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय का बजट प्रभाग व्यय आवश्यकताओं के प्रक्षेपण के आधार पर विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत एनएमए को बजट आवंटित करता है।

बजट आवंटन

7.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 में संस्कृति मंत्रालय ने विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत एनएमए को कुल 17.94 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। एनएमए को आवंटित कुल बजट में से 8.92 करोड़ रुपए देश भर में सक्षम प्राधिकारियों के कार्यालयों के लिए तथा शेष 9.02 करोड़ रुपए एनएमए मुख्यालय के लिए हैं।

7.3 बाद में संशोधित अनुमानों के अनुसार बजट को संशोधित करके 12.23 करोड़ रुपये (एनएमए के लिए 10.58 करोड़ रुपये और सक्षम प्राधिकारियों के लिए 1.65 करोड़ रुपये) कर दिया गया। संशोधित अनुमान चरण पर सक्षम प्राधिकारियों के लिए आवंटन में कमी सक्षम प्राधिकारियों के नियमित कार्यालयों का संचालन न होने के कारण हुई थी। एनएमए और सक्षम प्राधिकारियों को आवंटित कुल बजट में से वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल व्यय 11.89 करोड़ रुपये था जो संशोधित बजट अनुमानों का 97 प्रतिशत था।

7.4 वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एनएमए और सक्षम प्राधिकारियों के संबंध में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आवंटित बजट और किया गया व्यय निम्नानुसार हैः

(लाख रुपये में)

कार्यालय का नाम	बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	व्यय	व्यय बनाम संशोधित अनुमान का %
एनएमए	902.00	1058.03	1025.41	97%
सक्षम प्राधिकारी	892.00	165.65	163.60	99%
कुल	1794.00	1223.68	1189.01	97%

7.5 वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए मद शीर्षवार बजट की तुलना में व्यय, विशेष रूप से एनएमए मुख्यालय और सक्षम प्राधिकारियों के कार्यालयों के लिए, *अनुलग्नक–IX* में है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए संशोधित अनुमान की तुलना में कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाने वाला बार चार्ट

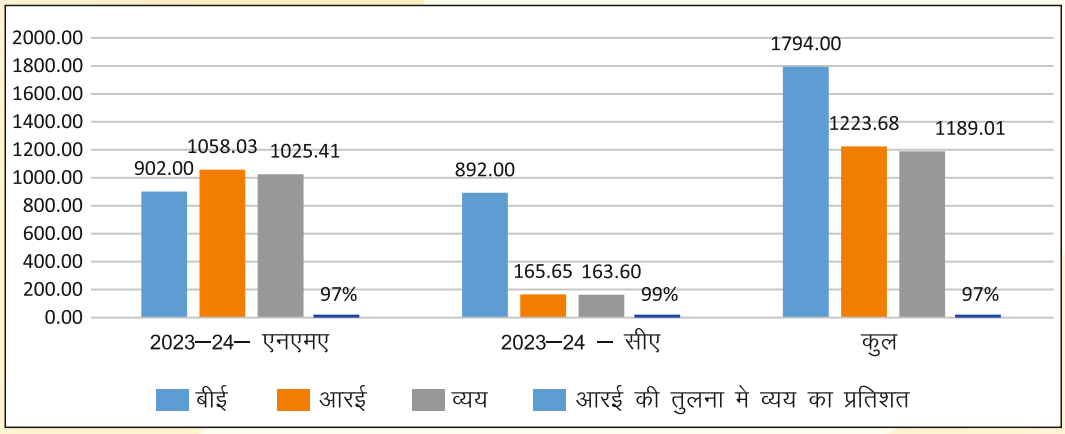

7.6 बहाल किए गए पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति आधार पर एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एनएमए के पास इसकी स्थापना के बाद से पहली बार अपना स्वयं का आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) था, इससे वेतन एवं लेखा कार्यालय, संस्कृति मंत्रालय को भुगतान के लिए सभी बिलों की इन–हाउस प्रोसेसिंग संभव हो गई, जिससे सभी दावों के समय पर निपटान के लिए भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आई।

7.7 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एनएमए मुख्यालय के लिए एंड–टू–एंड डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए लेखा महानियंत्रक के पीएफएमएस पोर्टल की ई–बिल प्रणाली भी लागू की गई। एकीकृत ई–ऑफिस एप्लिकेशन के साथ एकीकरण के माध्यम से सक्षम प्राधिकारियों के सभी कार्यालयों को शामिल करने के लिए ई–बिल प्रणाली का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

अध्यायः VIII

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

8.1 एनएमए 10 मई, 1963 को अधिनियमित राजभाषा अधिनियम, 1963 जिसके अन्तर्गत सरकारी दस्तावेजों और पत्राचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को अनिवार्य बनाया गया है, के अंतर्गत केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति का पालन करती है।

8.2 दो परामर्शदाताओं (राजभाषा) की नियुक्ति होने पर एनएमए ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रमुख उपलब्धियों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन शामिल है, जिसमें प्रगति की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान 17 मई, 2023, 04, सितंबर, 2023, 12 दिसंबर, 2023 और 27 मार्च, 2024 को तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित कीं गई। इस अवधि के दौरान 459 द्विभाषी दस्तावेज जारी किए गए, हिंदी में प्राप्त 829 पत्रों में से 58 का उत्तर हिंदी में दिया गया और 2442 टिप्पणियां में से 777 टिप्पणियां हिंदी में दर्ज की गईं। इसके अतिरिक्त एनएमए ने 534 पत्र हिंदी में, 1341 पत्र अंग्रेजी में और 534 पत्र द्विभाषी रूप में जारी किए। उल्लेखनीय है कि इस अवधि के दौरान अनुमति प्रदान करने की सिफारिश (आरजीपी) की सभी बैठकों के कार्यवृत्त का हिंदी में अनुवाद किया गया और एनएमए वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसके अतिरिक्त एनएमए द्वारा अनुमोदित सभी एचबीएल का भी संसद में रखने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हिंदी में अनुवाद किया गया।

8.3 एनएमए ने हिंदी में कार्य को बढ़ाने के लिए 24 मई और 15 सितंबर, 2023 को क्षमता निर्माण हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया। उपर्युक्त नीति के अनुरूप 14 से 29 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया जिसमें एनएमए के कर्मचारियों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से संस्कृति मंत्रालय को भेजी गई। इस अवधि के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा राजभाषा निरीक्षण किया गया और राजभाषा नीति के समग्र अनुपालन को बढ़ाने के लिए जांच–बिंदुओं को लागू किया गया।

14 से 29 सितम्बर तक चलने वाले हिन्दी पखवाड़े पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन

8.4 एनएमए ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक, हिंदी कार्यशाला और पुणे में आयोजित तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भी भाग लिया।

अध्यायः IX

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, लोक शिकायतें, वीआईपी संदर्भ और कानूनी मामले

9.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का मूल उद्देश्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करने लायक बनाने के लिए नागरिकों को सूचना के माध्यम से सशक्त बनाना है। एक जागरूक नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगा। अधिनियम ने एक व्यावहारिक व्यवस्था बनाई है जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रण में सूचना तक पहुँच मिल सकती है।

9.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) और 19(1) के अनुसार एनएमए ने अपने कार्यालय आदेश संख्या एफ. सं.11–31/2022–एनएमए/आरटीआई (ई–18867) दिनांक 10 जुलाई, 2023 के माध्यम से अधिकारियों/परामर्शदाताओं को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है। विशिष्ट पदनामों का विवरण *अनुलग्नक–X* में दिया गया है, जिसमें सीपीआईओ और एफएए को उनकी संबंधित इकाइयों की जिम्मेदारियों के आधार पर नियुक्त किया गया है।

9.3 परामर्शदाता (विधि) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के अंतर्गत नोडल अधिकारी है। वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आरटीआई आवेदनों और अपीलों को प्राप्त करने और उन्हें संबंधित सीपीआईओ और एफएए को अग्रेषित करने के लिए जिम्मेदार है।

9.4 इसके अतिरिक्त एनएमए के कार्यालय आदेश संख्या एफ. सं. 11–31/2022–एनएमए/आरटीआई–एफएए (ई–2443) दिनांक 25 जुलाई, 2023 के तहत आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के लिए अधिकारियों को सीपीआईओ और एफएए के रूप में नामित किया गया है।

9.5 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एनएमए को 105 ऑनलाइन आरटीआई आवेदन और 34 ऑफ़लाइन आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। सभी का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा किया गया। 12 ऑनलाइन प्रथम अपीलें भी प्राप्त हुईं और उनका भी निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा किया गया।

लोक शिकायतें

9.6 एनएमए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) जो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से एनआईसी द्वारा विकसित एक वेब–आधारित पोर्टल है, के माध्यम से लोक शिकायतों का प्रबंधन करता है। परामर्शदाता (विधि) इन शिकायतों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त सभी 85 लोक शिकायतों की जांच की गई और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उनका निपटारा किया गया।

वीआईपी संदर्भ

9.7 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एनएमए को 18 वीआईपी संदर्भ प्राप्त हुए और उनका उत्तर दिया गया, जिसमें नीतिगत मामले, व्यक्तिगत शिकायतें और अनुमोदन अनुरोध जैसे विभिन्न मुद्दे शामिल थे। सभी संदर्भों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निपटाया गया, जो उच्च प्राथमिकता वाले मामलों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति एनएमए की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विधि इकाई

9.8 एनएमए में एक समर्पित विधि अनुभाग है जो संगठन से जुड़े अदालती मामलों से संबंधित सभी कानूनी मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह अनुभाग सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय रजिस्ट्री, विभिन्न उच्च न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, विधि एवं न्याय मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है। इसे लीगल इंफार्मेशन ब्रीफिंग सिस्टम 2.0 (LIMBS 2.0) के माध्यम से लंबित अदालती मामलों की जानकारी संकलित करने और निगरानी करने का काम सौंपा गया है। परामर्शदाता (विधि) LIMBS में अदालती मामलों के डेटा की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में एनएम से जुड़े 20 लंबित अदालती मामले हैं जिनमें 8 नए मामले शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 08 मामले जिनमें एनएमए प्रतिवादी था, का निपटारा कर दिया गया है।

CHAPTER : I
INTRODUCTION

1.1 The National Monuments Authority (NMA) was constituted by enactment of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment & Validation) Act, 2010, under the principal Act, the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958. The Gazette Notification to this effect was published in Gazette of India (Extraordinary) on 30th March, 2010, after receiving the assent of the President on 29th March, 2010.

1.2 Accordingly, Ministry of Culture (MoC) vide its office memorandum No.33-71/2009-M (Vol.II) dated 06th September, 2010 conveyed the approval of Union Cabinet for establishment of NMA and 24 Competent Authorities (CAs) each with jurisdiction co-terminus with a Circle of Archaeological Survey of India (ASI) to assist NMA in discharging its functions. The said OM also conveyed the approval for creation of 12 posts in the NMA as detailed in *Annexure-I*.

1.3 The Authority became functional on 23rd November, 2011 with conduction of first meeting of NOC [(now called as Recommendation for Grant of Permission (RGP)] chaired by Ms. Meera Ishwar Dass, the then Whole-Time Member, in the absence of Chairperson, NMA, where five cases were considered under the provisions of AMASR Act, 1958 (as amended in 2010).

GENESIS OF NMA

1.4 To ensure the orderly preservation, conservation, protection and maintenance of all ancient monuments and archaeological sites and remains declared as of national importance, as well as their surrounding areas up to a specified limit, while accommodating urbanization and development, the Central Government established the NMA and CA at State level, to regulate the construction activities in the prohibited and regulated areas.

COMPOSITION OF NMA

1.5 As per Section 20F of the AMASR Act, 1958 (as amended in 2010), the Authority shall consist of a Chairperson, on whole time basis, a maximum of 05 Whole-Time Members and 05 Part-Time Members, the Director-General, ASI as member ex-officio and a Member Secretary not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.

1.6 The Chairperson having experience and expertise in the fields of archaeology, country and town planning, architecture, heritage, conservation-architecture or law, shall be appointed by the President. Professor Kishor K. Basa is the current Chairperson of NMA who assumed the charge on 23rd November, 2022.

1.7 The Whole-Time Members and Part-Time Members having proven experience and expertise in the fields of archaeology, country and town planning, architecture, heritage, conservation-

architecture or law, shall be appointed by the Central Government, on the recommendation of the Selection Committee consisting of Cabinet Secretary- (Chairperson, ex-officio); Secretary, Ministry of Culture - (Member, ex-officio); Secretary, Ministry of Urban Development-(Member; ex-officio); and three experts, having proven experience and expertise in the fields of archaeology, architecture, heritage or conservation-architecture to be nominated by the Central Government, referred to in Section 20-G. Currently, there is only one Whole-Time Member namely Shri T. N. Tiwari who assumed the charge on 25th May, 2023 along with Two Part-Time Members namely Shri Hemraj Ramniklal Kamdar and Prof. M. Kailasa Rao, who assumed the charge on 24th February, 2022 and 29th March, 2022, respectively.

1.8 The tenure of the whole-time Chairperson or every Whole-Time Member and every Part-Time Member, of the Authority shall be three years from the date on which he assumes office as such and shall not be eligible for re-appointment.

1.9 The list of former Chairpersons, Whole-Time Members and Part-Time Members are at *Annexure-II*.

CHAPTER : II
FUNCTIONS & POWERS OF NMA

2.1 The primary function of NMA is to implement the statutory provisions of prohibited and regulated areas of ancient monuments and archaeological sites and remains declared as of national importance (also referred to as protected monuments and sites or centrally protected monuments and protected areas) for the purpose of construction, re-construction, repair & renovation of buildings, structures, public projects or project essential the public. In addition, NMA has been mandated to approve monument specific Heritage Bye-Laws (HBLs) to regulate construction related activities around centrally protected monuments and protected areas. The HBLs shall inter-alia include matters relating to heritage controls such as elevation, façade, drainage systems, roads and service infrastructure. The heritage bye-laws are required to be laid before each House of Parliament. The NMA has also been given the responsibility of categorization and classification of ancient monuments or archaeological sites and remains declared as of national importance in consultation with ASI having regard to the historical, archaeological, architectural and other such relevant factors. For the purpose of discharging its mandated functions, NMA oversees the working of the CAs at field level. Besides, NMA is also mandated to suggest measures for implementations of the provisions of AMASR Act, 1958.

2.2 For discharging its functions under the Act, NMA has the same powers as of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908. This includes summoning and enforcing attendance of individuals, examining them under oath, requiring the discovery and production of documents, and addressing any other prescribed matters.

SECRETARIAT OF NMA

2.3 The Central Government is required to provide such numbers of officers and other employees as may be necessary for proper and efficient functioning of Authority under sub section (5) of Section 20F of AMASR Act, 1958 to enable it to achieve its objectives.

2.4 The Department of Expenditure (DoE) vide its ID no. 8777849 /E.C.I (2)/2010 date 18th January, 2011 sanctioned 12 posts (excluding the post of Member Secretary) in the NMA. The said sanctioned posts, could not be filled up / operationalized by NMA immediately within the prescribed period of 05 years of their sanction owing to lack of infrastructural arrangement and thus lapsed. However, on persistent follow up, DoE, Ministry of Finance (MoF), vide its I.D. Note No. 12(14)/Culture/E/Coord.I/2020 dated 07th March, 2022 revived 05 posts in NMA. Subsequently, DoE, MoD vide its ID No. 12(14)/Culture/E/Coord.I /2020 dated 08th May, 2023 revived remaining 07 posts in NMA. The details of 12 revived posts are detailed in *Annexure –III*.

2.5 Since these revived posts are not adequate enough to discharge the functions in an efficient manner, a proposal for creation of posts, under referred section of AMASR Act, 1958, is being submitted to MoC, as per *Annexure-IV*. However, in the absence of regular employees, young professionals and retired officials have been engaged as consultants on contractual basis, besides outsourcing the supporting staff, to enable the Authority to discharge its functions.

CHAPTER : III
SECRETARIAT OF COMPETENT AUTHORITIES

3.1 The Central Government is required to provide the supporting, technical staff and administrative staff for proper and efficient functioning of each office of the Competent Authority under clause 3 of in the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011 to enable them to achieve their objectives.

3.2 MoC vide its office memorandum No. 33-71/2009-M(Vol.II) dated 06th September, 2010 conveyed the approval of Union Cabinet for creation of 24 posts of 'Competent Authority' at the level of Joint Secretary to the Govt. of India.

3.3 Initially, as a temporary arrangement, Director level officers in 24 States were designated as Competent Authority (CA) with ad-hoc arrangement of staff. In addition, 05 Regional Directors (RDs) of ASI were declared as Competent Authority (CA). These RDs are functioning as CA from Kolkata, Bengaluru, Delhi, Mumbai and Bhopal. In each of the office of Competent Authority since inception, ad-hoc arrangement of providing staff on outsourced basis, besides availing the services of State Government employees by the designated CAs in the States have been made. At present, there are total 34 designated Competent Authorities including 05 RDs as notified under clause(db) of Section 2 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (as amended in 2010).

3.4 DoE vide its ID note dated 07th January, 2022, while not agreeing to revive the 24 posts of CA at JS level post, advised to process a proposal for creation of posts of Competent Authority & Director by downgrading these posts to the Level -12 (DS level). Accordingly, a proposal for creation of posts for the offices of CA sent has been to MoC, as detailed in *Annexure-V*, for onward submission to DoE for their consideration and approval.

FUNCTIONS OF COMPETENT AUTHORITIES

3.5 The duties and responsibilities of O/o Competent Authorities are prescribed in the Section 20D of AMASR Act, 1958 (as amended in 2010) and Rule 4 of AMASR (Framing of Heritage Bye-Laws and other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011 which came into force on 24th August, 2011. The CAs are responsible for processing and forwarding of applications for repairs renovation, construction and re-construction in the Regulated and Prohibited Area of protected monuments and protected areas for their approval to the Authority. They are also responsible to obtain archaeological assessment reports and survey reports for major projects, public projects essential to public, develop time-bound programmes for site plans and heritage bye-laws, and to categorize protected monuments. Additionally, they are also responsible for creating and managing a website with relevant information and maintaining comprehensive records of applications, permissions granted, refused, site plans and heritage bye-laws.

CHAPTER : IV
CATEGORIZATION AND CLASSIFICATION

4.1 As per Section 4A of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (as amended in 2010) , the Authority shall recommend to the Central Government prescription of categories in respect of ancient monuments or archaeological sites and remain declared as of national importance under Sections 3 and 4, and while prescribing such categories it shall have regard to the historical, archaeological and architectural value and such other factor as may be relevant for the purpose of such categorization.

4.2 The Central Government shall, on the recommendation of the Authority, classify all the ancient monuments and archaeological sites and remains declared as of national importance, in accordance with the categories prescribed and thereafter make the same available to the public and exhibit the same on its website and also in such other manner as it may deem fit.

4.3 As per Schedule II Rule 6 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, broad categories of ancient monuments and archaeological sites declared as of national importance on the basis of historical, archaeological, artistic and architectural value and such other relevant factors are as follow:

Category I	Protected monuments/archaeological sites inscribed on the World Heritage Cultural Sites list of UNESCO.
Category II	Protected monuments and archeological sites included in the Tentative List by the World Heritage Committee.
Category III	Protected monuments and archeological sites identified for inclusion in the World Heritage Tentative List of UNESCO.
Category IV	Ticketed protected monuments and archaeological sites (other than the World Heritage Sites and site included in the Tentative List).
Category V	Monuments and sites with adequate flow of visitors identified for charging entry fee.
Category VI	Living monuments which receive large number of visitors/pilgrims.
Category VII	Other monuments located in the Urban/Semi urban limits and in the remote villages.
Category VIII	Or such other category as the Authority may be deem fit.

4.4 Categorization of 918 protected monuments and sites of six ASI Circles namely, Delhi, Bhopal, Chandigarh, Kolkata, Vadodara and Jabalpur have been completed and submitted for the approval of the Competent Authority. Further, 870 additional protected monuments and sites in ten ASI Circles namely Jaipur, Nagpur, Lucknow, Mumbai, Patna, Shimla, Sarnath, Thrissur, Srinagar and Raipur have also been categorized. The number of protected monuments and sites categorized by NMA is 1788, which is approximately 50 percent of the total number of protected monuments and sites in the country.

CHAPTER : V
PROCESSING OF APPLICATIONS FOR GRANT OF PERMISSION

5.1 According to Section 20D of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958 (as amended in 2010), Competent Authorities (CAs) receive applications under the provisions of Section 20C for grant of permission for repair or renovation in prohibited area or construction or re-construction or repair or renovation in regulated area of centrally protected monuments, falling under their jurisdiction. The applicants are required to submit their applications in the prescribed Form-I available in the AMASR (Framing of Heritage Bye-Laws and other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011. The CA after carrying out the inspection of the proposed site of construction, is required to forward its recommendations to the NMA as per prescribed Form-II available in the AMASR (Framing of Heritage Bye-Laws and other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011.

5.2 The processing of application for grant of permission for repair or renovation in prohibited area or construction or re-construction or repair or renovation in regulated area of Centrally Protected Monuments (CPMs), includes forwarding of application by the respective Competent Authority to the Authority within 15 days of receipt of application along with its report on the proposed work. Based on the report of CA, the Authority intimate the CA impact of such construction while giving its recommendations, and accordingly CA grant permission or refuse the same as so recommended by the Authority. The recommendation of the Authority is treated as final. The rules for applying for No Objection Certificate [(now called as Recommendation for Grant of Permission (RGP)] as per AMASR Act, 1958 (as amended in 2010), are at *Annexure - VI*.

5.3 If the CA, based on the recommendation of the Authority, decides to refuse permission, it must, by written order, notify the applicant of the refusal within three months from the date of receipt of the application, while intimating the Authority also after providing the applicant an opportunity to be heard. NMA posts its approved minutes of RGP/NoC meetings on its website, listing all permissions granted or refused.

5.4 If permission is granted but later construction threatens the monument's preservation, the CA may seek further recommendations from the Authority and potentially withdraw the permission.

5.5 The NMA has streamlined the process for issuing NoC / RGP through the NOAPS (NMA Online Application and Processing System) portal launched on 28th April, 2016 as part of "Ease of Doing Business" initiative of Central Government. This system integrates state-of-the-art technology from ISRO, including the BHUWAN portal for satellite-based Colour-Coded Zonal Maps (CCZMs), and the SMARAC mobile application for fetching construction site coordinates. The system has significantly expedited clearance times, reducing the process time from 3½ months to just 30 days. NOAPS has also been integrated with the National Single Window System (NSWS) of Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) in October 2022, and has been made operational across 14 states namely Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Odisha, Rajasthan, Telangana, Uttarakhand, Karnataka, West Bengal, and Tamil Nadu and 01 Union Territory i.e. NCT of Delhi, also.

454th RGP Meeting held on 27th September, 2024 at New Delhi

5.6 Till 30th September, 2024, NMA held 454 meetings to consider NOC/ RGP applications. It has processed applications from 04 Urban Local Bodies (ULBs) under the Single Window system and 1,416 ULBs under the Non Single Window. Currently, CCZMs are available for 3,065 CPMs, while data for 630 CPMs are forthcoming from the ASI. The total number of applications received in NMA during the period from 23rd November, 2011 to 30th September, 2024, through offline and online modes and their status, is as under:

Applications Received vis-à-vis its Disposal (23.11.2011 - 30.09.2024)			
	Offline	**Online**	**Total**
Applications received	15,980	3,704	19,515
NOCs / RGP recommended	11,800	2,863	14,663

5.7 With the introduction of NOAPS, the online application and processing system, there has been a remarkable increase in number of online applications over the past three years. In the year 2023-24, the percentage of applications submitted online surged to 81 percent, a significant rise from just 46 percent in the financial year 2021-22. This highlights the growing reliance on digital platforms for application processing, showcasing the effectiveness of NOAPS in enhancing accessibility and efficiency in processing applications as evident from the table hereunder:

Applications Received vis-à-vis its Disposal (01.04.2021 - 31.03.2024)						
Period	**Applications received Online**	**Applications received Offline**	**Total Applications received (2+3)**	**Recommended for Permission**	**Sent Back for compliance**	**Rejected**
1	2	3	4	5	6	7
2021-22	431	682	1,113	920	132	61
2022-23	641	694	1,335	910	304	121
2023-24	989	860	1,849	1223	518	108
Total	2,061	2,236	4,297	3,053	954	290

5.8 From the above table, it may also be seen that 71 percent of applications were recommended for grant of permission, while 22 percent of applications were sent back with observations requiring compliance from the applicants / CAs and 07 percent of the applications were rejected in accordance with the provisions of AMASR Act, 1958 (as amended in 2010). It highlights the overall effectiveness of the application process, with a significant majority being approved while still allowing for necessary compliance and oversight.

CHAPTER : VI
HERITAGE BYE-LAWS

6.1 Section 20E of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (as amended in 2010) and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws (HBLs) for Protected Monuments and protected areas, declared as national importance. The Rules provide the parameters for the preparation of HBLs. Rule 18 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of HBLs by the Authority and their laying in Parliament.

6.2 The HBLs are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 meters in all directions of the protected monuments. The three hundred meters' area has been divided into two parts (i) the Prohibited Area, which is the area beginning at the limit of the protected area or the protected monument and extending to a distance of 100 meters in all directions and (ii) the Regulated Area, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 meters in all directions. The HBLs will include matters relating to heritage controls such as elevations, facades, drainage system, roads and service infrastructure development, etc.

6.3 According to Section 20E (1) of AMASR Act, 1958 (as amended in 2010), the Competent Authority, in consultation with Indian National Trust for Arts and Cultural Heritage, a trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), or such other expert heritage bodies, as may be notified by the Central Government, shall prepare HBLs in respect of protected monuments and protected areas. With the view to ensure availability of expert heritage bodies in all regions of the country for fast tracking the process of preparation of monument specific HBLs, it has been the initiative of the Authority to notify adequate number of such bodies having the requisite experience and expertise.

NOTIFIED HERITAGE BODIES

6.4 Indian National Trust for Arts and Culture Heritage (INTACH), a trust registered under Indian Trusts Act, 1882 was initially notified as an expert heritage body under Section 20E of AMASR Act, 1958 (as amended in 2010). Subsequently, 47 heritage bodies (excluding INTACH) were notified for the purpose of heritage consultations of HBLs till the year 2022. During the year 2023-24, another 24 institutions/ bodies have been notified. In total, there are 72 heritage bodies including INTACH and Gazette Notifications to these effects are at *Annexure-VII*.

HERITAGE BYE-LAWS (HBLs) LAID IN THE PARLIAMENT

6.5 Till the year 2022, 7 HBLs covering 33 protected monuments had been laid before both houses of Parliament. During the year 2023-24, another 11 HBLs covering 11 protected monuments were laid before both houses of Parliament, taking the total number of notified HBLs to 18 covering 44 protected monuments, as detailed in *Annexure-VIII*.

6.6 In the Year 2024, another 37 HBLs covering 54 protected monuments were laid in Rajya Sabha but these could not be laid before Lok Sabha. Subsequently, 53 HBLs covering 57 protected monuments have been approved by the Authority, to be laid before the Parliament, in due course.

FAST TRACKING ON FRAMING OF HERITAGE BYE-LAWS (HBLs)

6.7 On the recommendations of the Parliamentary Standing Committee, the process of fast tracking the preparation of HBLs by adopting a two pronged approach was initiated in August, 2022. Accordingly, 115 draft HBLs prepared by Competent Authorities (Regional Directors, ASI) covering 150 protected monuments had been assigned to 19 notified heritage bodies for heritage consultations after the approval of a minimum negotiated rate by the Competent Financial Authority. Heritage Consultation Reports of all 115 draft HBLs covering 150 protected monuments had been received in the year 2023-24.

6.8 Further, as per the second approach of preparation of initial drafts of HBLs by notified expert heritage bodies and subsequent vetting by the respective Regional Directors of ASI as Competent Authorities, the work of preparation of another 114 HBLs covering 153 protected monuments has been initiated through the "Request for Proposal" (RFP) route in different regions, as detailed under: -

Region-wise Preparation of Heritage Bye-laws in Progress			
Sl.No.	**Name of Region**	**No. of HBLs**	**Covering Monuments**
1.	Central Region	22	29
2.	Northern Region	26	28
3.	Southern Region	30	46
4.	Eastern Region	23	29
5.	Western Region	13	21
Total		**114**	**153**

AVAILABILITY OF SITE PLANS OF PROTECTED MONUMENTS

6.9 The Director General, Archaeological Survey of India (ASI), in terms of sub-rule (1) of rule 21 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, was required to cause a survey to be conducted in respect of all prohibited areas, regulated areas of each protected monument and protected area, within a period of 10 years (subsisted by G.S.R. 3(E), dated 27th December, 2018) for the purpose of preparing detailed site plans, with the help of experts and consultants. The availability of these monument specific site plans as per the parameters prescribed in First Schedule to Rule 21 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, is the critical starting point for the preparation of monument specific heritage bye-laws. A proactive approach between ASI and NMA has expedited the process of preparation of HBLs.

6.10 As a first step, it was decided by NMA to adopt a proactive approach to reach out directly to the ASI circles for identifying the bottlenecks in framing of monuments specific site plans as per prescribed parameters. Accordingly, in-house verification of site plans was carried out by Conservation Architects of NMA by visiting different regions of ASI. These visits proved to be extremely beneficial in identification of specific critical issues regarding site plans such as non-usage of standard symbols, colours code, discrepancies in names of protected monuments in site plans with those in respective Gazette Notifications, lack of clarity in depiction of limits of protected area, prohibited area and regulated area, discrepancy with the demarcation by the local revenue authorities and non-mapping of all structures and features in the protected, prohibited and regulated areas. Therefore, in order to expedite the availability of site plans as per prescribed parameters, the pro-active resolution of the above issues was essential.

CAPACITY BUILDING WORKSHOPS

6.11 Accordingly, it was decided during a meeting in the O/o DG, ASI, held on 01st November, 2023, to conduct region-wise Capacity Building Workshops focussing on the essentials of preparing accurate site plans by involving Superintending Archaeologists (SAs) and Surveyors of ASI Circles. A team of NMA experts would conduct on-site training at accessible locations, ensuring that participants can benefit from hands-on learning and expert guidance. This initiative was aimed at enhancing the skills necessary for accurate site plan preparation, ultimately supporting the framing of robust HBLs.

6.12 In line with the decision, four Capacity Building Workshops were jointly conducted by NMA and ASI for the Superintending Archaeologists of ASI and their Surveyors/concerned staff on "Preparation of Site Plans for Heritage Bye-Laws". These workshops also featured lectures by subject experts, who discussed the latest techniques for preparing site plans.

6.13 The Ist Capacity Building Workshop took place on 16th November, 2023 at ASI Auditorium, New Delhi. It was chaired by Chairman, NMA. The Additional DG (Conservation) and Joint DG (Monuments) of ASI also attended along with the Regional Director (North), ASI. Superintending Archaeologists(SAs) from Agra, Chandigarh, Dehradun, Shimla, Srinagar, and Meerut Circles along with Surveyors from Delhi, Jaipur, Jodhpur, and Leh Mini circles, also participated in the workshop.

Workshop held on 16th November, 2023 at New Delhi

6.14 The 2nd Workshop was held on 23rd November, 2023, at the Regional Training Centre, Institute of Government Accounts and Finance (INGAF) at Kolkata. It was attended by Regional Director (East), and his staff, as well as Superintending Archaeologists (SAs)from Patna, Raiganj, Ranchi, and Aizawl Circles along with Surveyors from Bhubaneswar, Puri, Guwahati, and Kolkata Circles.

Workshop held at on 23rd November, 2023 Kolkata

6.15 The 3rd Workshop was conducted on 06th February, 2024, at the Regional Training Centre, INGAF at Chennai, which was inaugurated by Chairman, NMA. It was attended by Superintending Archaeologists (SAs) from Chennai, Tiruchirappalli, Kolkata, Trichy, Bangalore, Amravati, Goa, Dharwad and Hyderabad Circles.

Workshop held on 06th February, 2024 at Chennai

6.16 The 4th Workshop was held on 08th February, 2024, at the Regional Training Centre, INGAF at Mumbai, for the remaining Superintending Archaeologists (SAs) and Surveyors. It was attended by Joint DG (Monuments), ASI, Regional Director (West), ASI, Regional Director (South), ASI and Superintending Archaeologists from Jodhpur, Lucknow, Bhopal, Guwahati, Nagpur, Jabalpur, and Jaipur circles of ASI along with Surveyors from Jhansi, Vadodara, Rajkot, Mumbai, Aurangabad, Agra, Raipur, Sarnath, and Jodhpur Circles.

Workshop held on 08th February, 2024 at Mumbai

6.17 These Workshops were extremely beneficial, with participants expressing high level of satisfaction. They reported that the workshops addressed many ongoing uncertainties, resolved existing issues, and instilled a renewed sense of confidence, empowered by the knowledge they gained. The positive impact of these workshops became evident in the following months, as there was a notable increase in the submission of accurate site plans as per prescribed parameters. This enhancement in quality not only streamlined the process of framing HBLs but also contributed to more effective conservation efforts.

CHAPTER : VII
FINANCE AND BUDGET

7.1 NMA is functioning as a non-cheque DDO (NCDDO) under payment control of Pay and Accounts office (PAO), MoC. The budget division of MoC allocates the budget to NMA under various heads of accounts based on the projection of expenditure requirements.

BUDGET ALLOCATION

7.2 In the financial year 2023-24, Ministry of Culture allotted total budget of Rs. 17.94 crore to NMA under different heads of accounts. Out of the total budget allotted to NMA, Rs. 8.92 crore was for the offices of Competent Authorities across the country and the remaining Rs. 9.02 crore was for NMA Headquarters.

7.3 Subsequently, as per the revised estimates the budget was revised to Rs. 12.23 crore (Rs. 10.58 crore for NMA and Rs. 1.65 crore for Competent Authorities). The reduction of allocation for Competent Authorities at revised estimate stage was on account of non-operationalization of regular offices of Competent Authorities. Out of the total budget allotted to NMA and Competent Authorities, the total expenditure was Rs. 11.89 crore in the financial year 2023-24 which was 97 percent of the revised budget estimates.

7.4 The budget allocated by MoC and expenditure incurred in respect of NMA and CAs for financial year 2023-24, are as under:

(Rs. in lakh)

Name of Office	Budget Estimate (BE)	Revised Estimate (RE)	Expenditure	% of Expenditure vs RE
NMA	902.00	1058.03	1025.41	97%
CAs	892.00	165.65	163.60	99%
Total	**1794.00**	**1223.68**	**1189.01**	**97%**

7.5 The object head wise budget vs. expenditure for the financial year 2023-24, distinctly for NMA headquarters and the offices of Competent Authorities, is at *Annexure-IX*.

Bar Chart showing percentage of Total Expenditure vis-à-vis RE for the Financial year 2023-24

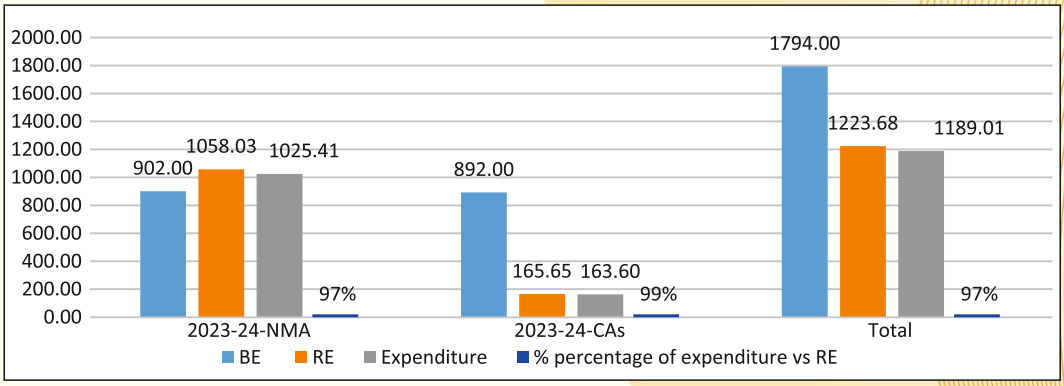

7.6 During the financial year 2023-24, NMA for the first time since its inception had its own Drawing & Disbursing Officer (DDO) consequent to the posting of an Administrative Officer on deputation against the revived post. This enabled the in house processing of all bills for payment to the PAO, Ministry of Culture, thereby expediting the process of payment for timely settlement of all claims.

7.7 During the financial year 2023-24, e-Bill system of PFMS portal of the Controller General of Accounts was also implemented for enabling end to end digital payments for NMA Headquarters. The e-Bill system is proposed to be extended to cover all the offices of Competent Authorities through integration with a unified e-Office application.

CHAPTER : VIII
IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

8.1 NMA adheres to the Central Government's Official Language Policy under Official Language Act, 1963 enacted on 10th May, 1963, which mandates the use of Hindi and English for official documentation and communication.

8.2 In the financial year 2023-24, consequent to the appointment of two Consultants (Official Language), NMA has made significant progress in implementing the Official Language Policy. The key achievements include the formation of an Official Language Implementation Committee, which held quarterly meetings on 17th May, 2023, 04th September, 2023, 12th December, 2023 and 27th March, 2024, to review the progress to review the progress. During this period, 459 bilingual documents were issued, 58 of 829 letters received in Hindi were replied to in Hindi and 777 out of 2442 notings were recorded in Hindi. Additionally, NMA issued 534 letters in Hindi, 1341 in English and 534 in bilingual form. Notably, the minutes of all recommendation for grant for permission (RGP) meetings held during the period were translated into Hindi and uploaded on the NMA website. Further, all HBLs approved by NMA were also translated into Hindi prior to initiation of the process of laying them in Parliament.

8.3 NMA organized capacity building Hindi Workshops on 24th May and 15th September, 2023, for increasing the work output in Hindi. In line with aforesaid policy, a Hindi Pakhwada was organised from 14th to 29th September, 2023, featuring several competitions for the staff of NMA and regular quarterly progress reports have been sent to MoC. The official language inspection was carried out by MoC during the period and the checkpoints have been implemented to enhance the overall compliance with the official language policy.

Prize Distribution Ceremony on Hindi Pakhwada organised from 14th to 29th September, 2023

8.4 NMA also participated in a Hindi Salahkar Samiti meeting, a Hindi workshop conducted by MoC and the Third Akhil Bhartiya Rajbhasha Sammelan held in Pune.

CHAPTER : IX
RIGHT TO INFORMATIONACT, 2005, PUBLIC GRIEVANCES, VIP REFERENCES AND LEGAL MATTERS

9.1 The basic objective of the Right to Information (RTI) Act, 2005 is to empower the citizens with information to promote transparency and accountability in the working of the Government, contain corruption, and make our democracy work for the people in real sense. An informed citizenry will be better equipped to keep necessary vigil on the instruments of governance and make the government more accountable to the governed. The Act has created a practical regime through which the citizens of the country may have access to information under the control of public authorities.

9.2 In accordance with Sections 5(1) and 19(1) of the Right to Information Act, 2005, NMA vide its Office Order No. F.No. 11-31/2022-NMA/RTI (E-18867) dated 10th July, 2023, designated the officers/consultants as Central Public Information Officers (CPIOs) and First Appellate Authorities (FAAs). The specific designations are detailed at *Annexure-X*, with CPIOs and FAAs assigned on the basis of their respective units' responsibilities.

9.3 Consultant (Legal) is the nodal officer under Section 5(2) of the RTI Act, 2005. He is responsible for receiving and forwarding RTI applications and appeals, both online and offline, to the concerned CPIOs and FAAs.

9.4 Additionally, vide NMA's Office Order No. F.NO. 11-31/2022-NMA/RTI-FAA (E-2443) dated 25th July, 2023, designates officers as CPIOs and FAAs for respective Competent Authorities, under the RTI Act, 2005.

9.5 During the financial year 2023-24, NMA received 105 online RTI applications and 34 offline RTI applications. All were disposed within the prescribed time line. Also, 12 online first appeals, were received and the same were disposed of within the prescribed time line.

PUBLIC GRIEVANCES

9.6 NMA manages public grievances through the Centralized Public Grievances Redress and Monitoring System (CPGRAMS), a web-based portal developed by NIC in collaboration with Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG). The Consultant (Legal) serves as the nodal officer for handling these grievances. During the financial year 2023-24, all public grievances numbering 85 received through CPGRAMS were examined and disposed according to the guidelines issued by the Central Government.

VIP REFERENCES

9.7 During the financial year 2023-24, NMA received and replied 18 VIP references, covering various issues such as policy matters, personal grievances, and approval requests. All references were handled within the specified time frame, demonstrating NMA's commitment to transparency and accountability in managing high-priority matters.

LEGAL UNIT

9.8 NMA has a dedicated Legal Section responsible for managing all legal matters related to court cases involving the organization. This Section coordinates with the Central Registry of the Supreme Court, various High Courts, Tribunals, the Ministry of Law & Justice and other Ministries. It is tasked with compiling and monitoring information on pending court cases through the Legal Information Briefing System 2.0 (LIMBS 2.0). The Consultant (Legal) serves as the nodal officer for overseeing court case data in LIMBS. Currently, there are 20 pending court cases involving NMA, including 8 new cases. During the financial year 2023-24, 08 cases in which NMA was a respondent have been disposed of.

अनुलग्नक
ANNEXURES

ANNEXURE-I

No.33-71/2009-M (Vol. II)
Government of India
Ministry of Culture
*****

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated the 6th September, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Establishment of a National Monuments Authority, and Competent Authorities, under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (the Act).

The undersigned is directed to say that the Union Cabinet has approved the following proposals of the Ministry (Copy enclosed):-

a) To Establish a National Monuments Authority; and 24 Competent Authorities each with jurisdiction co-terminus with a circle of Archaeological Survey of India;

b) To create the following 12 posts under National Monuments Authority:-

S.No.	Name of the Post	Level/Pay Scale
i)	Chairperson (1 post)	Secretary (Rs.80,000 fixed)
ii)	Whole-time Members (5 posts)	Additional Secretary (HAG Pay Scale
iii)	Part-time Members (5 posts)	Additional Secretary level (Sitting fees Rs.3000 per day; maximum Rs.50000/- p.m.)
iv)	Member – Secretary (1 post)	Joint Secretary (PB 4; GP Rs.10,000)

c) To create 24 posts of 'Competent Authority' at the level of Joint Secretary to the Government of India (Pay Band 4 + Grade Pay Rs.10,000).

2. In accordance with the Rules of Procedure in regard to proceedings of the Cabinet (Rule 10), progress of action to implement the decision is to be included in the Ministry's Monthly Summary for the information of the Members of the Council of Ministers and action taken to implement the decision is to be communicated to the Cabinet Secretariat with reference to the Implementation Schedule attached to the agenda note.

3. It is requested that necessary action may please be taken immediately to implement the Cabinet decision and periodic report may be sent to the Cabinet Secretariat under intimation to the Ministry of Culture.

(SURENDRA PATEL)
Under Secretary to the Government of India

09/10

Dr. Gautam Sengupta,
Director General
Archaeological Survey of India
Janpath, New Delhi

Encl : As above

अनुलग्नक-I

संख्या 33-71/2009- एम(खंड II)
भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 6 सितम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (अधिनियम) के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण तथा सक्षम प्राधिकारियों की स्थापना।

हस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है (प्रतिलिपि संलग्न):-

क) एक राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण तथा 24 सक्षम प्राधिकरणों की स्थापना करना, जिनका अधिकार क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक सर्किल के साथ सह-सम्बन्धित होगा;

ख) राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित 12 पदों का सृजन करना:-

क्र.सं.	पद का नाम	लेवल/वेतनमान
i)	अध्यक्ष (1 पद)	सचिव (80,000 रुपये निर्धारित)
ii)	पूर्णकालिक सदस्य (5 पद)	अपर सचिव (एचएजी वेतनमान)
iii)	अंशकालिक सदस्य (5 पद)	अपर सचिव स्तर (बैठक में भागीदारी शुल्क रु.3000 प्रतिदिन; अधिकतम रु. 50000/- प्रतिमाह)
iv)	सदस्य-सचिव (1 पद)	संयुक्त सचिव (पीबी 4; जीपी रु 10,000)

ग) भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के सक्षम प्राधिकारी (वेतन बैंड 4 + ग्रेड वेतन रु 10,000) के 24 पदों का सृजन करना।

2. मंत्रिमंडल की कार्यवाही के संबंध में प्रक्रिया के नियमों (नियम 10) के अनुसार निर्णय को लागू करने की कार्रवाई की प्रगति को मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जानकारी के लिए मंत्रालय के मासिक सारांश में शामिल किया जाना है और निर्णय को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई को कार्यसूची नोट के साथ संलग्न कार्यान्वयन अनुसूची के संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय को सूचित किया जाना है।

3. अनुरोध है कि मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा संस्कृति मंत्रालय को सूचित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय को समय-समय पर रिपोर्ट भेजी जाए।

हस्ता.

(सुरेन्द्र पटेल)
अवर सचिव, भारत सरकार

डॉ. गौतम सेनगुप्ता,
महानिदेशक
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
जनपथ, नई दिल्ली

अनुलग्नक यथोपरि :

Annexure-II (अनुलग्नक-II)

FORMER CHAIRPERSONS, WHOLE TIME –MEMBERS AND PART TIME MEMBERS OF NMA
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य

1. CHAIRPERSONS (अध्यक्ष)

S. NO. (क्रम सं.)	NAME (नाम)	FROM (से)	TO (तक)
1.	Prof. Himanshu Prabha Ray प्रो. हिमांशु प्रभा राय	31.08.2012	30.08.2015
2.	Prof. Susmita Pande प्रो. सुश्मिता पांडे	18.04.2016	17.04.2019
3.	Shri Tarun Vijay श्री तरूण विजय	12.07.2019	12.07.2022
4.	Shri Sachchidanand Joshi, (*held the additional charge*) श्री सचिदानन्द जोशी (अतिरिक्त कार्यभार)	02.08.2022	22.11.2022

2. WHOLE TIME MEMBERS (पूर्णकालिक सदस्य)

S. NO. (क्रम सं.)	NAME (नाम)	FROM (से)	TO (तक)
1.	Dr. Meera Ishwar Dass डॉ. मीरा ईश्वर दास	21.11.2011	20.11.2014
2.	Shri Mohd. Saleem Beg श्री मोहम्मद सलीम बेग	05.11.2013	04.11.2016
3.	Shri Arya Bhushan Shukla श्री आर्या भूषण शुक्ला	29.03.2016	28.03.2019
4.	Shri Uma Kant Sadhav श्री उमा कान्त साधव	01.06.2016	31.05.2019
5.	Shri Satish Kumar श्री सतीश कुमार	15.07.2016	14.07.2019
6.	Shri Ashvini Agrawal श्री अश्विनी अग्रवाल	04.01.2019	22.09.2021
7.	Shri Ajay Khare श्री अजय खरे	20.08.2019	31.10.2020

3. PART TIME MEMBERS (अंशकालिक सदस्य)

S. NO. (क्रम सं.)	NAME (नाम)	FROM (से)	TO (तक)
1.	Dr. Rima Hooja डॉ. रीमा हुजा	23.11.2011	22.11.2014
2.	Dr. Sanghamitra Basu डॉ. संघमित्रा बसु	23.11.2011	22.11.2014
3.	Ms. Shalini Mahajan सुश्री शालिनी महाजन	30.10.2013	29.10.2016
4.	Shri Bharat Bhushan श्री भारत भूषण	30.10.2013	29.10.2016
5.	Dr. Pukhraj Maroo डॉ. पुखराज मारू	06.01.2014	05.01.2017
6.	Dr. Vinay Kumar Rao डॉ. विनय कुमार राव	04.01.2019	03.01.2022

Annexure-III (अनुलग्नक-**III**)

DETAILS OF 12 REVIVED POSTS

बहाल किए गए **12** पदों का ब्यौरा

Sl. No. (क्रम सं.)	**Name of the Post** (पद का नाम)	**Pay Level equivalent to 7th CPC** (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के समतुल्य वेतन लेवल)	**No. of Post** (पदों की संख्या)
1.	Director निदेशक	Level-13	01
2.	Under Secretary (Admn.) अवर सचिव (प्रशासन)	Level-11	01
3.	Administrative Officer प्रशासनिक अधिकारी	Level -8	01
4.	System Analyst प्रणाली विश्लेषक	Level-10	03
5.	Architectural Drawing Officer आर्किटेक्चरल ड्राविंग अधिकारी	Level-7	01
6.	Survey Officer सर्वे अधिकारी	Level-7	01
7.	Photo Officer फोटो अधिकारी	Level-6	01
8.	Stenographer Grade-II आशुलिपिक ग्रेड-II	Level-4	03
Total (कुल)			**12**

Annexure-IV (अनुलग्नक-**IV**)

DETAILS OF POSTS REQUIRED TO BE CREATED IN NMA

एनएमए में सृजित किए जाने वाले अपेक्षित पदों का ब्यौरा

Sl. No (क्रम सं.)	Name of the Post (पद का नाम)	Pay Level (वेतन लेवल)	No of Posts proposed to be created (सृजित किए जाने हेतु प्रस्तावित पदो की संख्या)
1.	Principal Private Secretary प्रधान निजी सचिव	Level-11	1
2.	Finance Officer वित्त अधिकारी	Level-11	1
3.	Conservation Architect संरक्षण वास्तुविद्	Level-10	10
4.	Archaeologist पुरातत्वविद्	Level-10	1
5.	Senior Accounts Officer वरिष्ठ लेखा अधिकारी	Level-9	1
6.	Senior Administrative Officer वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	Level-9	1
7.	Accounts Officer लेखा अधिकारी	Level-7	1
8.	Senior Personal Assistant वरिष्ठ व्यैक्तिक सहायक	Level-6	7
9.	Junior Administrative Officer कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	Level-6	2
10.	Senior Secretariat Assistant वरिष्ठ सचिवालय सहायक	Level-4	6
11.	Junior Secretariat Assistant कनिष्ठ सचिवालय सहायक	Level-2	18
12.	MTS एमटीएस	Level-1	12
	Total (कुल)		**61**

Annexure-V (अनुलग्नक-**V**)

DETAILS OF POSTS REQUIRED TO BE CREATED IN COMPETENT AUTHORITIES

Sl. No (क्रम सं.)	Name of the Post (पद का नाम)	Pay Level (वेतन लेवल)	No of Posts proposed to be created (सृजित किए जाने वाले प्रस्तावित पदो की संख्या)
1.	Competent Authority & Director सक्षम प्राधिकारी एवं निदेशक	Level-12	24
2.	Junior Administrative Officer कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	Level-06	24
3.	Survey Officer सर्वे अधिकारी	Level-06	24
4.	Technical Assistant (Computer) तकनीकी सहायक (कम्प्यूटर)	Level-06	24
5.	Assistant Accounts Officer सहायक लेखा अधिकारी	Level-06	24
6.	LDC एलडीसी	Level-02	24
	Total (कुल)		**144**

ANNEXURE –VI (अनुलग्नक-VI)

Rules for applying RGP/NOC construction related work as per AMASR Act, 1958 एएमएएसआर अधिनियम, 1958 के अनुसार आरपीजी/एनओसी निर्माण संबंधित कार्यों के लिए आवेदन करने के लिए नियम

LIMITS (सीमाएं)	ACTIVITIES PROPOSED (प्रस्तावित कार्यकलाम)	HOW TO APPLY (कैसे आवेदन करें)	REFERENCE (संदर्भ)
100 meters in all directions from the limit of protected monument or protected area (संरक्षित संस्मारक अथवा संरक्षित क्षेत्र की सीमा से सभी दिशाओं में 100 मीटर)	**Construction** including public project, project essential to public or other construction. (निर्माण में सार्वजनिक परियोजना, जनता के लिए अनिवार्य परियोजना अथवा अन्य निर्माण शामिल है)	Not permitted (अनुमति नहीं)	Section 20A (4) of AMASR Act, 1958 (एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20क (4))
	Public amenities (सार्वजनिक सुविधाएं)	Applicant to apply in form –I to their respective Competent Authority. (आवेदक को अपने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को फार्म-I में आवेदन करना होता है।) Format of form –I given after Rule 23 of AMASR (CA etc.) Rules, 2011 (फार्म-I का प्रपत्र एएमएएसआर (सीए आदि) नियम, 2011 के नियम 23 के बाद दिया गया है।)	• Permitted under exemption to definition of Construction in Section 2(dc), AMASR Act, 1958 (धारा 2 (घग), एएमएएसआर अधिनियम, 1958 में निर्माण की परिभाषा के अपवाद के तहत अनुमति) • Rule 6(iii) and 7 of AMASR (CA etc.) Rules, 2011 (एएमएएसआर (सीए आदि) नियम, 2011 का नियम 6 (iii) और 7)
	Reconstruction of building or structures collapsed or damaged in natural calamities (प्राकृतिक आपदाओं में विध्वंस अथवा नष्ट हुए भवन अथवा संरचना का पुनर्निर्माण)		• Rule 16 of AMASR (CA etc.) Rules, 2011 (एएमएएसआर (सीए आदि) नियम, 2011 का नियम 16)
	Repair & Renovation of existing building or structure (मौजूदा भवन अथवा संरचना की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार)		• Section 20C (1), AMASR Act, 1958 [एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ग (1)] • Rule 6(vi) and 8 of AMASR (CA etc.) Rules, 2011 (एएमएएसआर (सीए आदि) नियम, 2011 का नियम 6 (vi) और 8)

200 meters in all directions from the limit of Prohibited area **(प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से सभी दिशाओं में 200 मीटर)**	Construction निर्माण		• Section 20C (2) of AMASR Act, 1958 [एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ग (2)] • Rule 6(i), (ii), (iii), (v) and 7 of AMASR (CA etc.) Rules, 2011 (एएमएएसआर (सीए आदि) नियम, 2011 का नियम 6 (i), (ii), (ii) , (v) और 7)
	Reconstruction पुनर्निर्माण		• Section 20C (2) of AMASR Act, 1958 [एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ग (2)] • Rule 6(iv) and 7 of AMASR (CA etc.) Rules, 2011 (एएमएएसआर (सीए आदि) नियम, 2011 का नियम 6 (iv) और 7)
	Repair & Renovation संरचना की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार		• Section 20C (2) of AMASR Act, 1958 [एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ग (2)] • Rule 6 (vii) and 8 of AMASR (CA etc.) Rules, 2011 (एएमएएसआर (सीए आदि) नियम, 2011 का नियम 6 (vii) और 8)

- NOC applications received by Authority from CA (CA has 15 days' time to examine application as per Section 20D (2).
  [प्राधिकरण में सीए से प्राप्त एनओसी आवेदनों की जांच करने के लिए सीए के पास 15 दिन का समय है (धारा 20घ (2) के अनुसार)]
- Authority has 2 months' time to consider application & convey recommendation to CA (as per Section 20D (3).
  [आवेदन पर विचार करने और सीए को सिफारिश भेजने के लिए प्राधिकरण के पास 2 महीने का समय है (धारा 20घ (3) के अनुसार)]
- Maximum time limit between submission of application to CA & receipt of intimation through CA, 3½ months as per section 20D.
  [सीए को आवेदन जमा करने और सीए के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के बीच अधिकतम समय सीमा 3½ महीने है (धारा 20घ के अनुसार)।]

ANNEXURE –VII (अनुलग्नक-VII)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2014/फाल्गुन 19, 1935
No. 121] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2014/PHALGUNA 19, 1935

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2014

सा. का. नि. 173(अ).— प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 20 ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दिए गए कालम 2 में उल्लिखित निम्नलिखित विरासत निकायों को अधिनियम की धारा 20 (ङ) के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है।

क्र. सं.	विरासत निकाय का नाम	क्षेत्राधिकार का दायरा
(1)	(2)	(3)
1.	रीच फाउंडेशन, ए-1/3, सेंचुरी एन्क्लेव, 54 कलाक्षेत्र रोड, तिरूवामियूर, चेन्नै 600041	समस्त भारत
2.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, पहली मंजिल, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, मानित, भोपाल - 51	समस्त भारत
3.	भारतीय प्रौदौयोगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर - 721302	समस्त भारत
4.	आगा खां संस्कृति न्यास, के - 15, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014	समस्त भारत

[फा. सं. 1/9/2012-एम]
प्रवीन श्रीवास्तव, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2014

G.S.R. 173 (E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) the Central Government hereby specifies following heritage bodies as mentioned in column 2 of the table given below for the purposes of section 20(E) of the Act.

Sl. No.	Name of Heritage Body	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	REACH Foundation, A-1/3, Century Enclave, 54 Kalakshetra Road, Thiruvanmiyur, Chennai-600041	Whole of India
2.	School of Planning and Architecture, 1st Floor, Sports Complex, MANIT, Bhopal-51	Whole of India
3.	Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur-721302	Whole of India
4.	Aga Khan Trust for Culture, K-15 Jangpura Extension, New Delhi-110014	Whole of India

[F.No. 1/9/2012-M]
PRAVIN SRIVASTAVA, Director General

1076GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022022-233251
CG-DL-E-09022022-233251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2022/माघ 20, 1943
No. 101] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2022/MAGHA 20, 1943

संस्कृति मंत्रालय

(राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 103(अ).—प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 20 ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है भारत के, संस्कृति मंत्रालय, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, संख्या सा.का.नि. के तहत 173 (अ) दिनांक 10 मार्च 2014, नामत:

क्रमांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद क्रमांक अधिसूचना में निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, नामत:-

क्र. सं.	विरासत निकाय का नाम	क्षेत्राधिकार का दायरा
(1)	(2)	(3)
5.	वास्तुकला और योजना विभाग, आई.आई.टी. रुड़की, रुड़की, उत्तराखंड - 247667	उत्तरी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र
6	वास्तुकला, योजना और डिजाइन विभाग, आई.आई.टी. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर, उत्तर प्रदेश - 221005	पूर्वी, मध्य और उत्तरी क्षेत्र

7	एन.सी.एम.एच.एस., आई.आई.टी. मद्रास, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आई.आई.टी. मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु - 600036	दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र
8	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, 4, ब्लॉक बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, इंद्रप्रस्थ मार्ग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002	उत्तरी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र
9	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा, सी.एम.44+सी.आर.एक्स., कृष्णा नगर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश - 520008	दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र
10	वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना विश्वविद्यालय परिसर, पटना, बिहार - 800005	पूर्वी क्षेत्र
11	वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्रेट ईस्टर्न रोड, आमानाका, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492010	मध्य क्षेत्र
12	वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश - 177005	उत्तरी क्षेत्र
13	वास्तुकला और योजना विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट मेक रोड, कट्टांगल, केरल - 673601	दक्षिणी क्षेत्र
14	वास्तुकला और योजना विभाग, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, लिंक रोड नंबर 3, काली माता मंदिर के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462003	मध्य क्षेत्र
15	योजना और वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बिसरा रोड, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिंदल कॉलोनी, उदित नगर, राउरकेला, ओडिशा - 769001	पूर्वी क्षेत्र
16	योजना और वास्तुकला विभाग, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302017	पश्चिमी क्षेत्र
17	वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजौर मेन रोड, एन.एच.67, भेल के पास, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु - 620015	दक्षिणी क्षेत्र
18	इतिहास विभाग, असम विश्वविद्यालय, सिलचर असम - 788011	पूर्वी क्षेत्र
19	ऐतिहासिक अध्ययन और पुरातत्व केंद्र दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, एस.एच.-7, गया पंचनपुर रोड, ग्राम-करहरा, पोस्ट, फतेहपुर, बिहार-824236	पूर्वी क्षेत्र
20	इतिहास और पुरातत्व विभाग, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कडगांची, कर्नाटक -585367	दक्षिणी क्षेत्र
21	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय रोड, सागर, मध्य प्रदेश -470003	मध्य क्षेत्र
22	इतिहास और पुरातत्व विभाग, उत्तर-पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, एन.ई.एच.यू. परिसर, शिलांग - 793 022	पूर्वी क्षेत्र
23	पुरातत्व विभाग, और प्राचीन संस्कृति, त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय, एन.एच.8, सूर्यमणि नगर, अगरतला, त्रिपुरा -799022	पूर्वी क्षेत्र
24	प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व, उत्तर प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226025	मध्य क्षेत्र

25	पुरातत्व विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, 87, 1, कॉलेज सेंट, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कॉलेज स्क्वायर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700073	पूर्वी क्षेत्र
26	इतिहास और पुरातत्व विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, एसएच 17, जंत-पाली, महेन्द्रगढ़ हरियाणा 123031	उत्तरी क्षेत्र
27	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे रोड, ब्राम्बे, झारखंड - 835205	पूर्वी क्षेत्र
28	द इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, बी-17, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110016	उत्तरी क्षेत्र
29	शहरी डिजाइन अनुसंधान संस्थान, 43, डॉ. व्ही.बी. गांधी मार्ग, काला घोड़ा, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400023	पश्चिमी क्षेत्र
30	डेक्कन कॉलेज, पुणे, डेक्कन कॉलेज रोड, लाइन बाजार, यरवडा, पुणे, महाराष्ट्र - 411006	पश्चिमी क्षेत्र
31	इंडियन सिटीज हेरिटेज नेटवर्क फाउंडेशन (आई.एच.सी.एन.एफ.), 51, कस्तूरबा रोड, शांताला नगर, संपंगी रामा नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक 560001	दक्षिणी क्षेत्र
32	तिब्बत विरासत कोष, लेह, लकुक हाउस, स्टालम, लेह, लद्दाख, 194101	उत्तरी क्षेत्र
33	विरासत केंद्र सी.आर.डी.एफ., सी.ई.पी.टी. विश्वविद्यालय, कस्तूरभाई लालभाई कैंपस, यूनिवर्सिटी रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात – 380009	पश्चिमी क्षेत्र
34	ऐतिहासिक सदनों के लिए केंद्र, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत नरेला रोड, जगदीशपुर गांव के पास, सोनीपत, हरियाणा 131001	उत्तरी क्षेत्र

[फा.सं. 15-114/1/NMA/HBL-2021-PART(1)]

संजुक्ता मुद्गल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

(National Monuments Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2022

G.S.R. 103(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Culture, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (ii), vide number G.S.R. 173 (E) dated 10th March 2014, namely:-

In the serial notification, after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:-

Sl. No	Name of Heritage Body	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
5.	Department of Architecture and Planning, IIT Roorkee, Roorkee, Uttarakhand - 247667	Northern, Western and Central Regions
6	Department of Architecture, Planning and Design, IIT Banaras Hindu University, Banaras Hindu University Campus, Uttar Pradesh -221005	Eastern, Central and Northern Regions

7	NCSHS, IIT Madras, Department of Civil Engineering, IIT Madras, Chennai, Tamil Nadu - 600036	Southern, Western and Eastern Regions
8	School of Planning and Architecture, 4, Block B, Beside State Bank Of India, Indraprashta Marg, IP Estate, New Delhi - 110002	Northern, Western and Central Regions
9	School of Planning and Architecture, Vijaywada, GM44+CRX, Krishna Nagar, Vijayawada, Andhra Pradesh -520008	Southern, Western and Eastern Regions
10	Department of Architecture, National Institute of Technology, Patna University Campus, Patna, Bihar - 800005	Eastern Region
11	Department of Architecture, National Institute of Technology, Great Eastern Road, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010	Central Region
12	Department of Architecture, National Institute of Technology, Hamirpur, Himachal Pradesh - 177005	Northern Region
13	Department of Architecture and Planning, National Institute of Technology, Calicut Make Road, Kattangal, Kerala - 673601	Southern Region
14	Department of Architecture and Planning, Maulana Azad National Institute of Technology, Link Road Number 3, Near Kali Mata Mandir, Bhopal, Madhya Pradesh - 462003	Central Region
15	Department of Planning and Architecture, National Institute of Technology, Bisra Rd, National Institute of Technology, Jindal Colony, Udit Nagar, Rourkela, Odisha - 769001	Eastern Region
16	Department of Planning and Architecture, Malviya National Institute of Technology, JLN Marg, Jaipur, Rajasthan-302017	Western Region
17	Department of Architecture, National Institute of Technology, Tanjore Main Road, NH67, near BHEL, Tiruchirappalli, Tamil Nadu - 620015	Southern Region
18	Department of History, Assam University, Silchar Assam - 788011	Eastern Region
19	Centre for Historical Studies and Archaeology Central University of South Bihar, SH-7, Gaya Panchanpur Road, Village – Karhara, Post, Fatehpur, Bihar -824236	Eastern Region
20	Department of History and Archaeology, Central University of Karnataka, Kadaganchi, Karnataka -585367	Southern Region
21	Department Of Ancient Indian History, Culture And Archaeology, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, University Road, Sagar, Madhya Pradesh -470003	Central Region
22	History & Archaeology Department, North-Eastern Hill University, NEHU Campus, Shillong - 793 022	Eastern Region
23	Department of Archaeology, and Ancient Culture, Central University of Tripura, NH8, Suryamani Nagar, Agartala, Tripura -799022	Eastern Region
24	Ancient Indian History and Archaeology, Central University of Uttar Pradesh, Vidya Vihar, Raibareli Road, Babasaheb Bhim Rao Ambedkar University, Lucknow, Uttar Pradesh - 226025	Central Region
25	Department of Archaeology, University of Calcutta, Central University of West Bengal, 87, 1, College St, Calcutta University, College Square, Kolkata, West Bengal 700073	Eastern Region

26	Department of History and Archeology Central University of Haryana, SH 17, Jant-Pali,Mahendragarh, Haryana 123031	Northern Region
27	Ancient Indian History, Culture and Archaeology, Central University of Jharkhand, Brambe Rd, Brambe, Jharkhand - 835205	Eastern Region
28	The Indian Archaeological Society, B-17, Qutab Institutional Area, New Delhi – 110016,	Northern Region
29	Urban Design Research Institute, 43, Dr, VB Gandhi Marg, Kala Ghoda, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400023	Western Region
30	Deccan College, Pune, Deccan College Rd, Line Bazar, Yerawada, Pune, Maharashtra - 411006	Western Region
31	Indian Cities Heritage Network Foundation (IHCNF), 51, Kasturba Rd, Shanthala Nagar, Sampangi Rama Nagar, Bengaluru, Karnataka 560001	Southern Region
32	Tibet Heritage Fund, Leh, Lakruk House, Stalam, Leh, Ladakh, 194101	Northern Region
33	Centre for Heritage CRDF, CEPT University, Kasturbhai Lalbhai Campus, University Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380009	Western Region
34	Centre for Historic Houses , OP Jindal Global University, Sonipat Narela Road, Near Jagdishpur Village, Sonipat, Haryana 131001	Northern Region

[F. .No. 15-114/1/NMA/HBL-2021-PART(1)]

SANJUKTA MUDGAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082022-237804
CG-DL-E-01082022-237804

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944
No. 538] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

संस्कृति मंत्रालय

(राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 611(अ).—केन्द्र सरकार, प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 20ङ. की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है। संस्कृति मंत्रालय ने दिनांक 10 मार्च, 2014 को सा.का.नि. 173(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया था, नामत: -

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 34 और इनसे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां शामिल की जाएं, नामत:-

क्र. सं.	विरासत निकाय का नाम	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
"35.	गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, सेक्टर 16-सी, द्वारका, नई दिल्ली- 110078	उत्तर, मध्य और पश्चिम
36.	वास्तु कला अकेडमी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली- 110067	उत्तर, मध्य और पश्चिम
37.	एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, के-1 ब्लॉक, भूतल, सेक्टर-125, अमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा- 201303	उत्तर

5220 GI/2022 (1)

87/88

380881/2022/UNESCO

38.	डॉ. भानुबेन नानवती कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर फॉर वुमैन, महर्षि कार्वे स्त्री शिक्षण, समस्था कैम्पस, कार्वेनगर, पुणे-411052 महाराष्ट्र, भारत	पश्चिम
39.	अहमदाबाद विश्वविद्यालय, सेंटर फॉर हैरिटेज मैनेजमेंट, अस्मिता भवन, सेंट्रल कैम्पस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009	पश्चिम और मध्य
40.	द मिथिक सोसाइटी, नृपातुंगा रोड, बेंगलुरू– 560001	दक्षिण
41.	सोसाइटी ऑफ साउथ एशियन आर्कियालॉजी, मार्फत पुरातत्व विभाग, डेक्कन कॉलेज पोस्टग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मानित विश्वविद्यालय, पुणे- 411006, भारत	पश्चिम और दक्षिण
42.	के. एस. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बेंगलुरू, 15 वजहल्ली मैसान्द्रा के निकट, कनकपुरा रोड, बेंगलुरू- 560109	दक्षिण
43.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, डिजाइन विभाग, हौज खास, नई दिल्ली- 110016	उत्तर
44.	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी, मानित विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, कैम्पस- 17, पटिया, भुवनेश्वर, ओडिशा– 751024	पूर्व
45.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, वास्तुकला विभाग, मेसरा, रांची, झारखंड- 835215	पूर्व
46.	स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड डिजाइन, देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मसूरी- डाइवर्जन रोड, मक्कावाला गांव, देहरादून, उत्तराखंड– 248009	उत्तर
47	चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, क्यूक्यू8एम+9जे6, विद्या पथ सेक्टर12बी, चंडीगढ़- 160012	उत्तर

[फा. सं. 4-1/2022-यूनेस्को/एनएमए]

संजुक्ता मुदगल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

(National Monuments Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

G.S.R. 611(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Culture, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 173 (E) dated the 10th March 2014, namely:-

In the said notification, after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:-

Sl. No.	Name of Heritage Body	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
"35.	Guru Gobind Singh Indraprastha University, University School of Architecture and Planning, Sector 16-C, Dwarka, New Delhi-110078	North, Central and West

88/88

380881/2022/UNESCO

36.	Vaastu Kala Academy College of Architecture, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi- 110067	North, Central and West
37.	Amity University , Amity School of Architecture and Planning, K-1 Block, Ground Floor, Sector-125, Amity University, Noida - 201303	North
38.	Dr. Bhanuben Nanavati College of Architecture for Women, Maharishi Karve stree Shikshan, Smastha Campus, Kavenagar, Pune-411052 Maharastra, India	West
39.	Ahmedabad University, Centre for Heritage Management, Asmita Bhawan, Central Campus, Navrangpura, Amedabad-380009	West and Central
40.	The Mythic Society, Nrupathunga Road, Bengaluru – 560001	South
41.	Society of South Asian Archaeology, C/O Department of Archaeology, Deccan College Postgraduate and Research Institute, Deemed University, Pune - 411006, India	West and South
42.	K.S. School of Architecture, Bengaluru, 15 Near Vajarahalli Marsandra, Off Kanakapura Road, Bengaluru – 560109	South
43.	Indian Institute of Technology, Delhi, Department of Design, Hauz Khas, New Delhi - 110016	North
44.	Kalinga Institute of Industrial Technology, Deemed to be University, School of Architecture and Planning, Campus – 17, Patia, Bhubaneswar, Odisha – 751024	East
45.	Birla Institute of Technology, Department of Architecture, Mesra, Ranchi, Jharkhand – 835215	East
46.	School of Architecture, Planning and Design, Dehradun Institute of Technology, Mussoorie - Diversion Road, village Makkawala, Dehradun, Uttrakhand – 248009	North
47.	Chandigarh college of Architecture, QQ8M+9J6, Vidya path Sector 12D, Chandigarh - 160012	North."

[F. No. 4-1/2022-UNESCO/NMA]

SANJUKTA MUDGAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244653
CG-DL-E-24032023-244653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
No. 171] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

संस्कृति मंत्रालय

(राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

सा.का.नि. 213(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 20ङ, की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार संख्या सा.का.नि.173 (ङ.) दिनांक 10 मार्च, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 47 तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जायेंगी, नामत: :-

क्र.सं.	विरासत निकाय का नाम	क्षेत्राधिकार का दायरा
(1)	(2)	(3)
"48.	वाडियार सेंटर फॉर आर्किटेक्चर, मैसूरु, 1011, सीएच 20, कृष्णराजा बुलेवार्ड, चामराज मोहल्ला, मैसूरु–570005	पूरा भारत
49.	अरविंदभाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल डिजाईन, भाईकाका लाइब्रेरी के पास, वल्लभ विद्यानगर, आनंद, गुजरात-388120	पूरा भारत
50.	श्री जी.सी. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, उधना-मगदल्ला रोड, सूरत-395007,गुजरात	पश्चिमी क्षेत्र

51.	जादवपुर विश्वविद्यालय, 188, राजा सुबोध चंद्र मलिक रोड, जादवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700032	पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र
52.	लवली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर-दिल्ली, ग्रांड ट्रंक रोड, फगवाड़ा, पंजाब-144001	उत्तरी क्षेत्र
53.	स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एसआरएम नगर, कट्टनकुलथुर चेंगलपट्टू जिला-603 203, तमिलनाडु	दक्षिणी क्षेत्र
54.	ओम दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आर्किटेक्चर कॉलेज, प्लॉट नंबर 38 एवं 39, उलुबेड़िया इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, बिरशिवपुर रेलवे स्टेशन के पास, उलुबेरिया, जिला, हावड़ा–711616	पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र
55.	मणिपाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एमआईटी कैंपस, मणिपाल-576104, कर्नाटक	दक्षिणी क्षेत्र
56.	डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़–202002	उत्तरी क्षेत्र
57.	स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, डीजी 1/2, न्यू टाउन, एक्शन एरिया 1, कोलकाता-700156	पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र
58.	आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, दक्षिण अंबाझरी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र-440010	पश्चिमी क्षेत्र
59.	सर जे.जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर,78/3, डॉ. डी.एन. रोड, मुंबई–400001	पश्चिमी क्षेत्र
60.	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, निरमा यूनिवर्सिटी,सरखेज-गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात-382 481	पश्चिमी क्षेत्र
61.	केएलयू स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन (केएल मानद विश्वविद्यालय), वड्डेश्वरम, गुंटूर, जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522302	दक्षिणी क्षेत्र
62.	भारतीय कला प्रसारिणी सभा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, 2043, सदाशिव पेठ, तिलक रोड, पुणे-411030	पश्चिमी क्षेत्र
63.	चितकारा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, चितकारा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़-पटियाला, राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम झांसला, तहसील-राजपुरा, पंजाब–144411	उत्तरी क्षेत्र
64.	इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नीकल यूनिवर्सिटी फॉर वूमेन, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006	उत्तरी क्षेत्र
65.	एम.ई.टी. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन, गोवर्धन, नासिक-422222	पश्चिमी क्षेत्र
66.	एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एमिटी यूनिवर्सिटी, मल्हौर स्टेशन के पास, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226028	उत्तरी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र
67.	वास्तुकला विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जीटी रोड, अमृतसर– 143005	उत्तरी क्षेत्र
68.	सेन्टर फॉर हेरिटेज स्टडीज, डी-208, ग्रिन्डाइन ग्रीन्स, कोकिला रिज़ॉर्ट के पास, फेज-II, पोखरीपुट, भुवनेश्वर-751020	पूर्वी क्षेत्र
69.	श्रीमती मनोरमाबाई मुंदले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, एल.ए.डी. कॉलेज कैंपस, सेमिनरी हिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र-440006	पश्चिमी क्षेत्र
70.	इंडियन सोसायटी फॉर प्रीहिस्टोरिक एंड क्वाटर्नरी स्टडीज, मार्फत डिपार्टमेन्ट ऑफ आर्कियोलॉजी, डक्कन कॉलेज, पुणे–411006	पश्चिमी क्षेत्र
71.	सेंटर फॉर आर्कियोलॉजीकल स्टडीज एंड ट्रेनिंग, इस्टर्न (सीएएसटीई), 1 सत्येन रॉय रोड, बेहला ट्रैम डिपो, कोलकाता-700034	पूर्वी क्षेत्र"

[फा. सं. 15-114/1/एनएमए/एचबीएल-2021-पार्ट (I)]

उमा नंदूरी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि 173 (ङ.) दिनांक 10 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 01 अगस्त, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 611(ङ.) दिनांक 27 जुलाई, 2022 की अधिसूचना द्वारा अन्तिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CULTURE

(National Monuments Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2023

G.S.R. 213(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Culture, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 173 (E), dated the 10th March 2014, namely:-

In the said notification, after serial number 47 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Name of the Heritage Body	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
"48.	Wadiyar Centre for Architecture, Mysuru, No.1011, CH20, Krishnaraja Boulevard, Chamaraja Mohalla, Mysuru – 570005	Whole of India
49.	Arvindbhai Patel Institute of Environmental Design , Near Bhaikaka Library, Vallabh Vidyanagar, Anand, Gujarat – 388120	Whole of India
50.	Shri G.C. Patel Institute of Architecture, Faculty of Architecture and Design, Veer Narmad South Gujarat Unviersity, Udhna- Magdalla Road, Surat – 395007, Gujarat	Western Region
51.	Jadavpur University, 188, Raja Subodh Chandra Mallick Rd, Jadavpur, Kolkata, West Bengal - 700032	Eastern Region and Northern Region
52.	Lovely School of Architecture and Design, Lovely Professional University, Jalandhar - Delhi, Grand Trunk Road, Phagwara, Punjab - 144001	Northern Region
53.	School of Architecture and Interior Design, SRM Institute of Science and Technology, SRM Nagar, Kattankulathur, Chengalpattu District – 603203, Tamil Nadu	Southern Region
54.	Om Dayal Group of Institutions, Architecture College, Plot No. 38&39, Uluberia Industrial Growth Centre, Near Birshibpur Railway Station, Uluberia, Distt, Howrah - 711616	Eastern Region and North Eastern Region
55.	Manipal School of Architecture and Planning, MIT Campus, Manipal – 576104, Karnataka	Southern Region
56.	Department of Architecture, Faculty of Engineering and Technology, Aligarh Muslim University, Aligarh – 202002	Northern Region
57.	School of Architecture and Planning, Sister Nivedita University, DG 1/2, New Town, Action Area 1, Kolkata 700156	Eastern Regions and North Eastern Region
58.	Architecture and Planning, Visvesvaraya National Institute of Technology, South Ambazari Road, Nagpur, Maharashtra- 440010	Western Region
59.	Sir J. J. College of Architecture, 78/3, Dr. D.N. Road, Mumbai – 400001	Western Region
60.	Institute of Architecture and Planning, Nirma University, Sarkhej-Gandhinagar Highway, Ahmedabad, Gujarat -382 481	Western Region
61.	KLU School of Architecture, Koneru Lakshmaiah Education Foundation(K L Deemed to be University), Vaddeswaram, Guntur, Dist., Andhra Pradesh - 522302	Southern Region
62.	Bharatiya Kala Prasarini Sabha's College of Architecture, 2043, Sadashiv Peth, Tilak Road, Pune–411030	Western Region
63.	Chitkara School of Planning and Architecture, Chitkara University, Chandigarh-Patiala, National Highway Village Jhansla, Tehsil-Rajpura, Punjab - 144411	Northern Region

64.	Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, Kashmiri Gate, Delhi - 110006	Northern Region
65.	MET School of Architecture and Interior Design, Govardhan, Nashik - 422222	Western Region
66.	Amity School of Architecture and Planning, Amity University, Near Railway Malhore Station, Gomti Nagar Extension- Lucknow – 226028, Uttar Pradesh	Northern Region and Central Region
67.	Department of Architecture, Guru Nanak Dev University, GT Road, Amritsar - 143005	Northern Region
68.	Centre for Heritage Studies, D-206, Pristine Greens, Near Kokila Resort, Phase- II, Pokhariput, Bhubaneswar- 751020	Eastern Region
69.	Smt. Manoramabai Mundle College of Architecture, L.A.D. College Campus, Seminary Hills, Nagpur – 440006 (M.S.)	Western Region
70.	Indian Society for Prehistoric and Quaternary Studies, C/o Department of Archaeology, Deccan College, Pune - 411006	Western Region
71.	Centre for Archaeological Studies & Training Eastern (CASTE), 1 Satyen Roy Road, Behala tram Depot, Kolkata - 700034	Eastern Region"

[F. No. 15-114/1/NMA/HBL-2021-PART(I)]

UMA NANDURI, Jt. Secy.

Footnote: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(i), vide number G.S.R.173(E), dated the 10th January, 2014 and was last amended vide notification number G.S.R. 611(E), dated the 27th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(i), dated the 1st August, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Annexure - VIII (अनुलग्नक -VIII)

List of 18 Heritage Bye-Laws laid in the both Houses of Parliament
संसद के दोनों सदनों में रखे गए विधि की सूची-धरोहर उप 18

Sl.No. क्र.सं.	Name of Heritage Bye-Laws (धरोहर उपविधि का नाम-)	Date of laid in Rajya Sabha (राज् यसभा में रखे जाने की तारीख)	Date of laid in Lok Sabha (लोक सभा में रखे जाने की तारीख)
1.	Heritage Bye-Laws for Amjad Ali Shah's Mausoleum at Hazratganj, Lucknow अमजद अली शाह का मकबरा, हजरतगंज, लखनऊ के लिए धरोहर उप-नियम	07.01.2019	08.01.2019
2.	Heritage Bye-Laws for Humayun's Tomb- Sunder Nursery- Batashewala group of monuments हुमायूं का मकबरा-सुंदर नर्सरी-बताशेवाला स्मारक समूह के लिए धरोहर उप-नियम	09.07.2019	22.07.2019
3.	Heritage Bye-Laws for Nizamuddin Basti group of monuments निजामुद्दीन बस्ती स्मारक समूह के लिये विरासत उप-नियम	09.07.2019	15.07.2019
4.	Heritage Bye-Laws for Purana Qila, Delhi पुराना किला, दिल्ली के लिये धरोहर उप-नियम	26.07.2019	26.07.2019
5.	Heritage Bye-Laws for Khair-ul-Manazil and Sher Shah Gate खैर उल-मनाजिल और शेर शाह गेट के लिये धराहर उप-विधि	26.07.2019	26.07.2019
6.	Heritage Bye-Laws for Chaunsath Jogini Temple, Jabalpur चौंसठ जोगिनी मंदिर, जबलपुर के लिये धरोहर उप-विधि	22.12.2021	07.02.2022
7.	Heritage Bye-Laws for Vishnu Varaha Temple, Bilhari, Katni विष्णु वराह मंदिर, बिलहरी, कटनी के लिये धरोहर उप-विधि	22.12.2021	07.02.2022
8.	Heritage Bye-Laws for Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah Jalaun, Uttar Pradesh चौरासी गुंबद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा, जालौन, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि	03.08.2023	07.08.2023
9.	Heritage Bye Laws for Memorial Pillar marking the site of the pre-Mutiny Residency in old Mariaon Cantonment, Lucknow, Uttar Pradesh पुरानी मरियन छावनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में विद्रोह-पूर्व निवास-स्थल को चिन्हित करने वाले स्मारक-स्तंभ के लिए धरोहरहर उप-विधि	21.09.2023	20.09.2023
10.	Heritage Bye -Laws for Juma Masjid, Hardoi Road, Husainabad, Lucknow, Uttar Pradesh जुमा मस्जिद, हरदोई रोड, हुसैनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि	11.12.2023	14.12.2023
11.	Heritage Bye Laws for Chaturdasha Devata Temple, Tripura चतुर्दश देवता मंदिर, त्रिपुरा के लिए धरोहर उप-विधि	11.12.2023	14.12.2023
12.	Heritage Bye Laws for Cemetery near Fort Machhi Bhawan, Lucknow किला मच्छी भवन, लखनऊ के समीप कब्रिस्तान के लिए धरोहर उप-विधि	11.12.2023	14.12.2023
13.	Heritage Bye-Laws for Picture Gallery, Hussainabad, Lucknow, Uttar Pradesh फोटो गैलरी, हुसैनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि	11.12.2023	14.12.2023
14.	Heritage Bye-Laws for Bhubaneswari Temple, Rajnagar, Gomati, Tripura भुवनेश्वरी मंदिर, राजनगर, गोमती, त्रिपुरा के लिए धरोहर उप-विधि	21.12.2023	21.12.2023
15.	Heritage Bye-laws for Gunavati Group of Temples, Radhakrishorepur, Gomati, Tripura गुनावती मंदिर समूह, राधाक्रिशोरपुर, त्रिपुरा के लिए धरोहर उप-विधि	21.12.2023	21.12.2023
16.	Heritage Bye-Laws for The Kaz Main Buildings, Mansoor Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh काज मैन बिल्डिंग, मंसूर नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि	21.12.2023	21.12.2023
17.	Heritage Bye-Laws for The Dargah Hazrat Abbas, Saadatganj, Lucknow, Uttar Pradesh दरगाह हजरत अब्बास, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि	21.12.2023	21.12.2023
18.	Heritage Bye-Laws for Kalinga Monuments, Dehradun, Uttrakhand कलिंगा संस्मारक, करणपुर, देहरादून, उत्तराखंड के लिए धरोहर उप-विधि	21.12.2023	21.12.2023

ANNEXURE-IX (अनुलग्नक-IX)

NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
Budget Vs. Expenditure as on 31.03.2024
बजट एवं व्यय (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)

(Rupees in Lakh) (लाख रूपये में)

PART-A (भाग - क)

SL NO (क्र.सं.)	SUB HEAD CODE (उपशीर्ष कोड)	SUB HEAD (उपशीर्ष)	New BE (नया बजट अनुमान) 2023-24	RE (संशोधित अनुमान) 2023-24	Funds in RE after RO dated 26.03.2024 (दिनांक 26.03.2024 के आरओ के बाद संशोधित अनुमान निधि)	Expenditure 2023-24 Till 31.3.2024 (31.3.2024 तक 2023-24 तक हुआ व्यय)	Funds status/ Funds avail. (over RE 2023-24) (संशोधित अनुमान 2023-24 के ऊपर निधियों की स्थिति/उपलब्ध निधि)	% of Utilized of funds available after RO (आरओ के पश्चात उपयोग की गई उपलब्ध निधियों की प्रतिशतता)
	2205.00.107		A	B	C	D	E (C-D)	F
1	39 01 01	Salaries (वेतन)	90.00	120.00	84.00	83.21	0.79	99%
2	39 01 02	Wages (मजदूरी)	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0%
3	39.01.05	Rewards (पुरस्कार)	2.00	2.00	0.07	0.06	0.01	90%
4	39 01 06	Medical Treatment (चिकित्सा उपचार)	2.00	5.00	1.00	0.00	1.00	0%
5	39.01.07	Allowances (भत्ते)	50.00	85.00	84.50	83.85	0.65	99%
6	39.01.08	Leave Travel Concession (छुट्टी यात्रा रियायत)	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0%
7	39.01.09	Training Expenses (प्रशिक्षण व्यय)	4.00	4.00	1.60	1.54	0.06	96%
8	39 01 11	Domestic Travel Expenses (घरेलू यात्रा व्यय)	47.00	47.00	42.00	35.54	6.46	85%
9	39 01 12	Foreign Travel Expenses (विदेशी यात्रा व्यय)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0%
10	39 01 13	Office Expenses (कार्यालय व्यय)	380.50	515.86	515.86	513.20	2.66	99%
11	39 01 16	Printing and Publication (मुद्रण और प्रकाशन)	6.00	18.50	18.50	17.94	0.56	97%
12	39 01 19	Digital Equipment (डिजीटल उपकरण)	100.00	35.00	17.00	16.52	0.48	97%
13	39 01 26	Advertisement & Publicity (विज्ञापन और प्रचार)	10.00	5.00	1.00	0.00	1.00	0%
14	39 01 27	Minor Civil and Electric Work (Newly introduced) (अल्प सिविल एवं विद्युत कार्य (नये आरम्भ किये गये))	0.00	80.00	50.00	33.60	16.40	67%
15	39 01 28	Professional Services (व्यवसायिक सेवाएं)	150.00	230.00	230.00	229.28	0.72	100%
16	39 01 29	Repair and Maitenance (मरम्मत एवं रखरखाव)	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0%
17	39 01 49	Other Revenue Expenditure (अन्य राजस्व व्यय)	8.00	8.00	1.50	1.28	0.22	85%
18	96-13	SAP - OE (एसएपी - ओई)	20.00	9.50	5.00	4.15	0.85	83%
19	4202.04.106.13.01.71	ICT (आईसीटी)	0.00	50.00	6.00	5.25	0.75	87%
SUB TOTAL -A (उप-जोड़ - क)			**902.00**	**1227.36**	**1058.03**	**1025.41**	**32.62**	**97%**

COMPETENT AUTHORITY
सक्षम प्राधिकारी

(Rupees in Lakh) (लाख रूपये में)

PART-B (भाग - ख)

SL NO (क्र.सं.)	SUB HEAD CODE (उपशीर्ष कोड)	SUB HEAD (उपशीर्ष)	New BE (नया बजट अनुमान) 2023-24	RE (संशोधित अनुमान) 2023-24	Funds in RE after RO dated 26.03.2024 (दिनांक 26.03.2024 के आरओ के बाद संशोधित अनुमान निधि)	Expenditure 2023-24 Till 31.3.2024 (31.3.2024 तक 2023-24 तक हुआ व्यय)	Funds status/ Funds avail. (over RE 2023-24) (संशोधित अनुमान 2023-24 के ऊपर निधियों की स्थिति/उपलब्ध निधि)	% of Utilized of funds available after RO (आरओ के पश्चात उपयोग की गई उपलब्ध निधियों की प्रतिशतता)
	2205.00.107		A	B	C	D	E (C-D)	F
1	40.01.01	Salaries (वेतन)	90.00	10.00	0.00		0.00	0%
2	40 01 05	Rewards (पुरस्कार)	5.00	1.00	0.00		0.00	0%
3	40 01 06	Medical Treatment (चिकित्सा उपचार)	5.00	1.00	0.00		0.00	0%
4	40 01 07	Allowances (भत्ते)	50.00	2.10	0.00		0.00	0%
5	40 01 08	Leave Travel Concession (छुट्टी यात्रा रियायत)	10.00	1.00	0.00		0.00	0%
6	40.01.11	Domestic Travel Expenses (घरेलू यात्रा व्यय)	20.00	5.00	0.50	0.13	0.37	26%
7	40.01.13	Office Expenses (कार्यालय व्यय)	401.00	200.00	160.00	158.35	1.65	99%
8	40 01 14	Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings (भूमि और भवनों के लिए किराया, दर और कर)	80.00	5.00	0.00		0.00	0%
9	40 01 18	Rents for others (अन्य किराया)	6.00	1.00	0.00		0.00	0%
10	40 01 19	Digital Equipment (डिजीटल उपकरण)	90.00	10.00	0.00		0.00	0%
11	40 01 28	Professional Services (व्यवसायिक सेवाएं)	75.00	10.00	5.15	5.12	0.03	99%
12	40 01 49	Other Revenue Expenditure (अन्य राजस्व व्यय)	10.00	1.00	0.00		0.00	0%
13	96-13	SAP - OE (एसएपी - ओई)	50.00	4.90	0.00		0.00	0%
SUB TOTAL -B (उप-जोड़ - ख)			**892.00**	**252.00**	**165.65**	**163.61**	**2.04**	**99%**
GRAND TOTAL (A+B) [कुल योग (क+ख)]			**1794.00**	**1479.36**	**1223.68**	**1189.02**	**34.66**	**97%**

ANNEXURE -X

No. 11-31/2022-NMA/RTI(E-18867) - 597
No. Government of India
Ministry of Culture
National Monuments Authority

24, Tilak Marg,
New Delhi-110001
Dated 10.07.2023

OFFICE ORDER

In suppression of NMA's order of even No. dated 26.06.2023, the following Officers/ Consultants are designated as CPIOs in terms of Section 5(1)(2) of RTI Act, 2005, as detailed under:

Sl No.	Name & Designation of CPIO	Jurisdiction
1.	Sh. Ravi Roshan, Administrative Officer	Accounts and Establishment etc including procurements, maintenance of NMA.
2.	Sh. Sahib Singh, Consultant (Admin)	Administration of NMA.
3.	Sh. Narayan Mahapatra, Consultant (System Analyst -NOC)	NOC for construction/ renovation near/around in prohibited/ regulated areas of Centrally Protected Monuments.
4.	Ms. Ananya Asthana, Consultant (Conservation Architect)	Heritage- Bye- Laws of Centrally Protected Monuments.

2. Col. Savyasachi Marwaha, Director, NMA will act as a Nodal Officer for NMA, who is also designated as First Appellate Authority (FAA) under Section 19 of RTI Act, 2005.

3. Shri Bhaskar Verma, Member Secretary, NMA will be the Transparency Officer in respect of RTI matters concerning National Monuments Authority as per guidelines issued by Central Information Commission, New Delhi vide letter no. CIC/AT/D/10/000111 dated 15.11.2010 and 09.12.2010.

4. This issues with the approval of competent authority.

Marwaha
(Col. Savyasachi Marwaha)
Director, NMA

To

1. Sh. Ravi Roshan, Administrative Officer, NMA.
2. Sh. Sahib Singh, Consultant (Admin), NMA.
3. Sh. Narayan Mahapatra, Consultant (System Analyst -NOC), NMA.
4. Ms. Ananya Asthana, (Conservation Architect), NMA.
5. Sh. Aby Varghese, Consultant (Legal), NMA. He is directed to assist Nodal Officer / First Appellate Authority (FAA) in discharging his duties.
6. Consultant (Hindi) with request to provide Hindi version of this office order.
7. All Regional Directors & Competent Authority, NMA. (Delhi/Bhopal/Mumbai/Kolkata/Chennai).
8. All Offices of Competent Authorities, N.M.A.
9. O/o CIC, CIC Bhawan, Baba Ganga Nath Marg, Staff Quarters, Old J.N.U. Campus, Munirka, New Delhi — 110067
10. PS to Secretary (Culture)
11. PS to Joint Secretary (Estt.), Ministry of Culture
12. PA to Director (Monuments) A.S.I., Puratatva Bhawan, New Delhi.
13. PS to DG, ASI.
14. PA to Under Secretary (NMA), UNESCO Cell, Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi.
15. PS to Chairman, NMA.
16. EA to Member Secretary, NMA.
17. PS to Director, NMA.
18. All Officers / Section, NMA.

अनुलग्नक -X

संख्या 11-31/2022-एनएमए/आरटीआई (ई-18867)
भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 10 जुलाई, 2023

कार्यालय आदेश

1. राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के दिनांक 26-06-2023 के समसंख्यक आदेश का अधिक्रमण करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) (2) की शर्तों के अनुसार नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निम्नखित अधिकारियों/परामर्शदाताओं को सीपीआईओ पदनामित किया जाता है:-

क्रम सं.	सीपीआईओ का नाम एवं पदनाम	क्षेत्राधिकार
1.	श्री रवि रोशन, प्रशासनिक अधिकारी	खरीद, एनएमए का रख-रखाव सहित लेखा और स्थापना आदि
2.	श्री साहिब सिंह, परामर्शदाता (प्रशासन)	एनएमए का रख-रखाव
3.	श्री नारायण महापात्रा, परामर्शदाता (प्रणाली विशलेषक-एनओसी)	केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्रों के समीप/आसपास निर्माण/नवीकरण के लिए एनओसी
4.	सुश्री अनन्या अस्थाना, परामर्शदाता (संरक्षण वास्तुविद)	केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के विरासत उप-नियम

2. कर्नल सव्यसाची मारवाह, निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण एनएमए के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में भी पदनामित हैं।

3. केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 15-11-2010 और 09-12-2010 के पत्र संख्या सीआईसी/एटी/डी/10/000111 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई मामलों के बारे में श्री भास्कर वर्मा, सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण पारदर्शिता अधिकारी होंगे।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सव्यसाची मारवाह

(कर्नल सव्यसाची मारवाह)
निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

सेवा में,

1. श्री रवि रोशन, प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. श्री साहिब सिंह, परामर्शदाता (प्रशासन), राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. श्री नारायण महापात्रा, परामर्शदाता (प्रणाली विशलेषक-एनओसी), राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
4. सुश्री अनन्या अस्थाना, परामर्शदाता (संरक्षण वास्तुविद), राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
5. श्री अबी वर्गीस, परामर्शदाता (विधि), राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे नोडल अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करें
6. सभी क्षेत्रीय निदेशक एवं सक्षम प्राधिकारी, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (दिल्ली/भोपाल/मुम्बई/ कोलकाता/चैन्नई)
7. सभी सक्षम प्राधिकारी कार्यालय, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
8. केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यालय, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर्स, ओल्ड जे.एन.यू. परिसर, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067
9. सचिव (संस्कृति) के निजी सचिव
10. संयुक्त सचिव (स्थापना), संस्कृति मंत्रालय के निजी सचिव
11. निदेशक (संस्मारक) ए.एस. आई. के पीए, पुरातत्व भवन, नई दिल्ली
12. महा निदेशक, एएसआई के निजी सचिव
13. अवर सचिव (एनएमए), यूनेस्को सैल, संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पीए
14. अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के निजी सचिव
15. सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के कार्यकारी सहायक
16. निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के निजी सचिव
17. राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के सभी अधिकारी/अनुभाग

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार

National Monuments Authority
Ministry of Culture
Government of India

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001
24, Tilak Marg, New Delhi-110001
वेबसाइट / Website : www.nma.gov.in